

::आदेशः

कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत सम्पूर्ण राज्य में 25 मार्च 2020 से लॉक डाउन किया गया है। कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में जिला स्तर से गृहसंगरोधन, संस्थागत संगरोधन, राहत सामग्री वितरण, राहत शिविरों, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग आदि कार्यों के सम्बन्ध में प्रतिदिन आपदा कन्ट्रोल रूम, वार रूम तथा नोडल अधिकारियों के स्तर से शासन को सूचनायें प्रेषित की जा रही है। अधीनस्थों के स्तर से शासन को भ्रामक तथा अपूर्ण सूचनायें प्रेषित किया जाना संज्ञान में आया है।

उक्त के दृष्टिगत कोविड-19 से सम्बन्धित शासन को प्रेषित की जाने वाली समस्त सूचनाओं हेतु मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। नोडल अधिकारी प्रतिदिन अपने हस्ताक्षर से समस्त सूचनायें पूर्ण परीक्षणोपरान्त नियत प्रारूप पर शासन को प्रेषित करने हेतु उत्तरदायी होंगे।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय— जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या— 360/तेरह-आ0प्राधि0/कोरोना/2020

दिनांक— 07 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 2— समस्त नोडल अधिकारी, कोविड-19 जनपद उत्तरकाशी।
- 3— समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

::आदेश::

कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत सम्पूर्ण राज्य में 25 मार्च 2020 से लॉक डाउन किया गया है। जनपद के निकटवर्ती जिलों में कोरोना पॉजिटिव केस पाये गये हैं जिस कारण जनपद में कोरोना वायरस के प्रसार की अत्यधिक सम्भावना है। जनपद में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत, अन्यत्र राज्यों और जनपदों से आये व्यक्तियों की स्क्रीनिंग तथा जांच की जा रही है और उन्हें गृह संगरोधन में रखा गया है।

जनपद में ऐसे क्षेत्र तथा स्थान जहां कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्ति निवासरत हैं उन क्षेत्रों/स्थानों को कन्टेनमेन्ट जोन तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र को बफर जोन के रूप में चिन्हित चिन्हित कर ऐसे क्षेत्रों की कलस्टर के रूप में मेंपिंग की जायेगी। इन क्षेत्रों से कोरोना संक्रमण अन्यत्र स्थानों पर न फैलने पाये इस हेतु इन क्षेत्रों के पूर्ण सेनेटाईजेशन तथा इसमें निवासरत लोगों की डोर टू डोर स्क्रीनिंग तथा गहन जांच/परीक्षण सर्विलांस टीमों के माध्यम से किया जायेगा। **मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद उत्तरकाशी को इस कार्य हेतु "जिला सर्विलांस अधिकारी", नामित किया जाता है।**

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय— जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या— 359/तेरह-आ0प्राधि0/कोरोना/2020

दिनांक— 07 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
- 2— समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
- 3— पुलिस उपधीक्षक, उत्तरकाशी/बडकोट।
- 4— मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5— प्रमुख चिकित्साधीक्षक, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।
- 6— मुख्य चिकित्साधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव/बडकोट/पुरोला/चिन्यालीसौड़।
- 7— समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जनपद उत्तरकाशी।
- 8— जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 9— समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत जनपद उत्तरकाशी।



अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

::आदेशः

कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत सम्पूर्ण राज्य में 25 मार्च 2020 से लॉक डाउन किया गया है। लॉक डाउन के पश्चात अन्यत्र राज्यों तथा जनपदों से आने वाले व्यक्तियों को कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत 14 दिनों के लिए संस्थागत गृह संगरोधन में गढ़वाल मण्डल विकास निगम उत्तरकाशी में रखा जा रहा है।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम उत्तरकाशी में संस्थागत गृह संगरोधन में रखे गये व्यक्तियों के समस्त व्यवस्थाओं हेतु श्री वृजराज सिंह जिला आलू एवं शाकभाजी अधिकारी, उत्तरकाशी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।


कार्यालय— जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या— 363 / तेरह-आ0प्राधि0 / कोरोना / 2020

दिनांक— 07 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 2— समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 3— क्षेत्रीय प्रबन्धक गढ़वाल मण्डल विकास निगम, उत्तरकाशी।
- 4— प्रबन्धक गढ़वाल मण्डल विकास निगम, उत्तरकाशी।




अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

::आदेशः

कोरोना संक्रमण (कोविड-19) को वैश्विक महामारी/आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत सम्पूर्ण राज्य में 25 मार्च 2020 से लॉक डाउन किया गया है। लॉक डाउन के पश्चात अन्यत्र राज्यों तथा जनपदों से बड़ी संख्या में प्रवासी अपने पैतृक ग्राम में आ रहे हैं। आतिथि तक जनपद में 4407 व्यक्तियों का आगमन हो चुका है। अन्यत्र राज्यों/जनपदों से आये व्यक्तियों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु जनपद स्तर पर श्री प्रलयंकर नाथ मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, को नोडल अधिकारी, नामित किया जाता है। नोडल अधिकारी, के साथ श्री अभिषेक तिवारी सहायक अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड उत्तरकाशी, श्री कपिल नौटियाल, अनुदेशक राजकीय पॉलीटेक्निक उत्तरकाशी तथा श्री प्रवीन भारती, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कार्यालय जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, को कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कार्य हेतु सम्बद्ध किया जाता है।

उक्त कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग टीम तत्काल प्रभाव से जनपद में आने वाले व्यक्तियों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कार्य प्रारम्भ करेंगे तथा प्रतिदिन की सूचना आपदा कन्ट्रोल रूम उत्तरकाशी में उपलब्ध करायेंगे।



अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।


कार्यालय— जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या-364/तेरह-आ0प्राधि0/कोरोना/2020

दिनांक- 07 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 2- समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
- 4- उपरोक्त कार्मिकों को अनुपालनार्थ।




अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

			निष्पादन तथा कोविड-19 कार्य में तेनात चिकित्सकों एवं अधिकारियों की आवासीय व्यवस्था सम्बन्धी कार्य।
5	श्री मनोज कुमार	शिकायत सहायक	सी0आर0टी0/बी0आर0टी0 से दैनिक रिपोर्ट संकलन, पत्रचार तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य।
6	श्री गणेशमणी बडोनी एवं श्री विजय पालीवाल	सहायक राजस्व लेखाकार (समबद्ध) एवं वरिष्ठ सहायक जिला कार्यालय।	कोविड-19 के दृष्टिगत विभिन्न विभागों की मांग तथा आपूर्ति सम्बन्धी पत्रावलियां तैयार कर गठित क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना तथा क्रय सम्बन्धी सभी अभिलेखों का रखरखाव एवं पत्राचार सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पादित करना।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।


कार्यालय— जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या— 365 / तैरह—आ0प्राधि0 / कोरोना / 2020

दिनांक— 07 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि—

- 1— समस्त नोडल अधिकारी, को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— उपरोक्त कार्मिक को अनुपालनार्थ प्रेषित।



अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

::आदेश::

कोरोना संक्रमण (कोविड-19) को वैश्विक महामारी/आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत सम्पूर्ण राज्य में 25 मार्च 2020 से लॉक डाउन किया गया है। कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में जिला स्तर पर गृहसंगरोधन, संस्थागत संगरोधन, राहत सामग्री वितरण, राहत शिविरों, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग आदि कार्यो सम्पादित किये जा रहे है। उक्त कार्यो के सम्बन्ध में प्रतिदिन आपदा कन्ट्रोल रूम, वार रूम तथा नोडल अधिकारियों के स्तर से शासन को सूचनायें प्रेषित की जा रही है। कोविड-19 से सम्बन्धित शासन को प्रेषित की जाने वाली समस्त सूचनाओं हेतु मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। शासन को प्रेषणीय सूचनायें तैयार करने तथा अन्य कार्यो के सम्पादनार्थ कलक्ट्रेट अधिष्ठाण के कार्मिको निम्नवत तैनाती की जाती है।


क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्य आवंटन
1	श्री राकेश चौहान	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	जिला पूर्ति अधिकारी व परियोजना निदेशक डी०आर०डी०ए०, से समन्वय कर जनपद में खाद्यान्न, सब्जी, रसोई गैस, ईंधन की आपूर्ति व मांग के सम्बन्ध में दैनिक आख्या प्राप्त करते हुये इस सम्बन्ध में आवश्यक पत्राचार करना तथा दैनिक सूचना नियत प्रारूप पर तैयार कर नोडल अधिकारी के माध्यम से शासन को प्रेषण करने सम्बन्धी कार्य । जनपद स्तर पर कोविड-19 से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों सम्बन्धी पत्राचार, पत्रावलीयां तैयार करना तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी अभिलेखीकरण कार्य।
2	श्री केदार सिंह गुसाईं	प्रशासनिक अधिकारी (राजस्व)	जिला चिकित्सालय में स्थापित वार रूम तथा कन्ट्रोल रूम से संस्थागत संगरोधन, गृह संगरोधन, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग सम्बन्धी सूचनायें प्राप्त कर शासन को प्रेषित करने सम्बन्धी कार्य तथा चिकित्सा विभाग की कोविड-19 के सम्बन्ध में प्राप्त चिकित्सा सामग्री के सत्यापन सम्बन्धी कार्य।
3	श्री नागेन्द्र सिंह नेगी	प्रशासनिक अधिकारी/पेशकार	कोविड रिलीफ केन्द्र सम्बन्धी सूचनायें तहसील/ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त करते हुये नियत प्रारूप पर दैनिक सूचना शासन को प्रेषित करने तथा इससे सम्बन्धित पत्राचार तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य का निष्पादन करना।
4	श्री गिरीजा शंकर नौटियाल	सहायक प्रबन्धक	कोविड-19 कार्य हेतु जनपद के विभिन्न नोडल अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, चिकित्साधिकारियों हेतु राजकीय कार्य के सम्पादनार्थ वाहनों की व्यवस्था, ईंधन आपूर्ति सम्बन्धी कार्यो की पत्रावली, अनुमतियां, आदेश, पत्राचार, अभिलेखीकरण सम्बन्धी कार्य का



::आदेशः

कोरोना संक्रमण (कोविड-19) को वैश्विक महामारी/आपदा के रूप में अधिग्रहित किया गया है। महामारी/आपदा के समय नगरिकों की सहायता एवं जागरूक करने में CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS (CSO)- NGOS की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नीती आयोग के पत्र संख्या- AI/Misc 2020 AdminII Dated 30.03.2020 तथा सचिव सूचना विज्ञान एवं तकनीकी/स्टेट नोडल ऑफिसर, सी0एस0ओ0 उत्तराखण्ड सरकार के पत्र संख्या- 01/SNO/CO/CSO/2020/001 Dated 05 April 2020 के द्वारा कोविड संक्रमण रोकने हेतु सी0एस0ओ0 को इस कार्य में सम्मिलित किये जाने के निर्देश है तथा Civil Society Organisations (CSO) के साथ समन्वय करने हेतु वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाना है।

उक्त के क्रम में जनपद में CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS (CSO) के साथ समन्वय करने हेतु अपर जिलाधिकारी, श्री तीर्थपाल सिंह, को नोडल अधिकारी, सी0एस0ओ0 नामित किया जाता है। नोडल अधिकारी जनपद के सी0एस0ओ0 से समन्वय स्थापित करतें हुये कोविड-19 के दृष्टिगत सी0एस0ओ0 सम्बन्धी सभी कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करेगें।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।


कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या- 367/तेरह-आ0प्राधि0/कोरोना/2020

दिनांक- 08 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- सचिव सूचना विज्ञान एवं तकनीकी, स्टेट नोडल ऑफिसर, सी0एस0ओ0 उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 4- अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 6- अध्यक्ष, भारतीय रेड क्रॉस समिति, उत्तरकाशी।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

आदेश

संज्ञान में आया है कि नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों द्वारा प्रयुक्त किये गये मास्क यत्र-तत्र फेंके जा रहे हैं। प्रयुक्त मास्क का चिकित्सीय नियमों के अनुरूप निस्तारण नहीं किया जा रहा है। प्रयुक्त मास्क के यथोचित निस्तारण न होने की दशा में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की सम्भावना है। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में प्रयुक्त मास्क का बायोमैडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल के अनुसार निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त के क्रम में आदेशित किया जाता है कि आप ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत प्रयुक्त मास्क का चिकित्सीय नियमों के अनुरूप निस्तारण करना सुनिश्चित करें, जिससे जनपद में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



(डॉ० आशीष चौहान)

जिलाधिकारी,

उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या-202 /तेरह-आ०प्र०/कोरोना/2018

दिनांक- 11

अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि- निम्नांकित को अनुपालनार्थ प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उत्तरकाशी।
- 2- परियोजना प्रवन्धक, स्वजल इकाई जनपद उत्तरकाशी।
- 3- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
- 4- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत जनपद-उत्तरकाशी।



जिलाधिकारी,

उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या- 204 / आओप्रओ (COVID-19) / 2020


दिनांक 11 अप्रैल, 2020

समस्त ग्राम प्रधान,
जनपद उत्तरकाशी।

विषय:- प्रत्येक गांव में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूचना उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक कोरोना वायरस (COVID-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद में विदेशों, अन्यत्र राज्यों एवं राज्य के अन्य जनपदों से प्रवासी / स्थानीय नागरिक अपने मूल निवास / पैतृक ग्रामों में लौटे हैं। संज्ञान में आया है कि कतिपय लोगों के ग्रामों में वापस आने सम्बन्धी सूचना ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण टीम, कोविड मजिस्ट्रेट तथा राजस्व उपनिरीक्षकों को उपलब्ध नहीं कराया जा रही है। जिससे कन्ट्रोल रूम को बाहर से आने वाले कोरोना वायरस के संक्रमण से सम्भावित व्यक्तियों की सूचना प्राप्त न होने के कारण उक्त संदिग्ध लोगों का चिकित्सकीय परीक्षण तथा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उन लोगों को क्वारंटीन / आयसोलेशन में नहीं रखे जाने से गावों में वायरस की संक्रमण की प्रबल सम्भावना होगी।

अतः कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के सम्बन्ध में वृहद स्तर पर प्रत्येक गांव में अन्यत्र राज्यों एवं राज्य के अन्य जनपदों से प्रवासी / स्थानीय नागरिकों के लौटने के सम्बन्ध में प्रतिदिन सूचना कन्ट्रोल रूम (01374-222722, 226126, 222641) के साथ ही स्थानीय आशा, आंगनवाड़ी, कोविड मजिस्ट्रेट अथवा राजस्व उपनिरीक्षक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही से संक्रमण की पूर्ण सम्भावना है। अवगत होवे कि जनपद में विना जानकारी / सूचना के बाहर से आने वाले लोगों के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवही भी अमल में लायी जायेगी।



(डॉ० आशीष चौहान)

अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण / जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि:- निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 2- समस्त उप जिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी।
- 3- मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरकाशी।
- 4- जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, उत्तरकाशी।
- 5- जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 7- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति समस्त ग्राम प्रधानों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण / जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या-162/तेरह-आ०पा०/कोरोना/2020


दिनांक- 21 मार्च, 2020

- 1- मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
- 2- समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्साधीक्षक, जनपद उत्तरकाशी।
- 3- समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
- 4- जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 5- समस्त तहसीलदार, जनपद उत्तरकाशी।

विषय- कोरोना वायरस के सर्वेक्षण में तैनात क्षेत्रीय कर्मचारियों हेतु मास्क तथा सेनेटाईजर उपलब्ध कराने विषयक।


उपरोक्त विषयक आप अवगत है कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण को वैश्विक आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। जनपद में अन्यत्र राज्यों/जनपदों से प्रवासी अपने मूल/पैत्रिक ग्रामों में लौट रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम हेतु यह आवश्यक है कि अन्यत्र राज्यों/जनपदों से आने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम प्रहरी तथा राजस्व उप निरीक्षकों के माध्यम से ग्रामवार सर्वेक्षण कर संकलित कर प्राप्त की जाये। आज दिनांक 21.03.2020 को नोबल कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव के सम्बन्ध में आहूत बैठक में उक्त सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश सभी सम्बन्धित अधिकारियों को प्रदान किये गये हैं। कोरोना वायरस के दृष्टिगत ग्राम स्तर पर कार्य करने वाले कर्मिकों को सामाजिक दूरी का परिपालन करना होगा। उन्हें इस कार्य हेतु मास्क, सेनेटाईजर तथा ग्लब्स तत्काल उपलब्ध कराये जाये।

उक्त के क्रम में आप कोरोना वायरस के सर्वेक्षण में तैनात आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम प्रहरी तथा राजस्व उप निरीक्षकों को सुरक्षा की दृष्टिगत पर्याप्त मात्रा में सेनेटाईजर, मास्क तथा ग्लब्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त कर्मिकों को नजदीकी चिकित्सालयों से उक्त सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी, मास्क, सेनेटाईजर तथा ग्लब्स की मांग मुख्य चिकित्साधिकारी, के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि- समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी को आवश्यक कार्यवाही हेतु


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या- 204 / आओप्रओप्रओ (COVID-19) / 2020


दिनांक 11 अप्रैल, 2020

समस्त ग्राम प्रधान,
जनपद उत्तरकाशी।

विषय:- प्रत्येक गांव में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूचना उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक कोरोना वायरस (COVID-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद में विदेशों, अन्यत्र राज्यों एवं राज्य के अन्य जनपदों से प्रवासी/स्थानीय नागरिक अपने मूल निवास/पैतृक ग्रामों में लौटते हैं। संज्ञान में आया है कि कतिपय लोगों के ग्रामों में वापस आने सम्बन्धी सूचना ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण टीम, कोविड मजिस्ट्रेट तथा राजस्व उपनिरीक्षकों को उपलब्ध नहीं कराया जा रही है। जिससे कन्ट्रोल रूम को बाहर से आने वाले कोरोना वायरस के संक्रमण से सम्भावित व्यक्तियों की सूचना प्राप्त न होने के कारण उक्त संदिग्ध लोगों का चिकित्सकीय परीक्षण तथा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उन लोगों को क्वारंटीन/आयसोलेशन में नहीं रखे जाने से गावों में वायरस की संक्रमण की प्रचल सम्भावना होगी।

अतः कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के सम्बन्ध में वृहद स्तर पर प्रत्येक गांव में अन्यत्र राज्यों एवं राज्य के अन्य जनपदों से प्रवासी/स्थानीय नागरिकों के लौटने के सम्बन्ध में प्रतिदिन सूचना कन्ट्रोल रूम (01374-222722, 226126, 222641) के साथ ही स्थानीय आशा, आंगनवाडी, कोविड मजिस्ट्रेट अथवा राजस्व उपनिरीक्षक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही से संक्रमण की पूर्ण सम्भावना है। अवगत होवे कि जनपद में बिना जानकारी/सूचना के बाहर से आने वाले लोगों के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवही भी अमल में लायी जायेगी।




(डॉ० आशीष चौहान)

अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण / जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि:- निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 2- समस्त उप जिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी।
- 3- मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरकाशी।
- 4- जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, उत्तरकाशी।
- 5- जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 7- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति समस्त ग्राम प्रधानों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।



अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण / जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

आदेश

संज्ञान में आया है कि नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों द्वारा प्रयुक्त किये गये मास्क यत्र-तत्र फेंके जा रहे हैं। प्रयुक्त मास्क का चिकित्सीय नियमों के अनुरूप निस्तारण नहीं किया जा रहा है। प्रयुक्त मास्क के यथाचित निस्तारण न होने की दशा में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की सम्भावना है। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में प्रयुक्त मास्क का बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल के अनुसार निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त के क्रम में आदेशित किया जाता है कि आप ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत प्रयुक्त मास्क का चिकित्सीय नियमों के अनुरूप निस्तारण करना सुनिश्चित करें, जिससे जनपद में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



(डॉ० आशीष चौहान)

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या-202 /तेरह-आ0प्र0/कोरोना/2018 दिनांक- 11 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि- निम्नांकित को अनुपालनार्थ प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उत्तरकाशी।
- 2- परियोजना प्रबन्धक, स्वजल इकाई जनपद उत्तरकाशी।
- 3- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
- 4- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत जनपद-उत्तरकाशी।




जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

जोन संख्या	जोन में सम्मिलित ग्राम	कोविड मजिस्ट्रेट का नाम	स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी का नाम	पुलिस कार्टेबल/ पीओआरडीओ स्वयंसेवक की तैनात कर्मचारी का नाम	वाहन संख्या	वाहन चालक का नाम व मो० न०
17-कमल सिराई- II	खाबलीसेरा, कुमोला, नौरी, कोरना, पुजेली, ठकराडी, मोलकट, मखना, छिबाला, देवदुंग, कोटी, धनपुर, चन्देरी, सौन्दाडी, नेत्री, स्वील, गैण्ड, खलाडी, पुजेली (खलाडी), चपटाडी।	डॉ० कैलाश सिंह रावत, रसायन विज्ञान, आर०सी०यू, रा०पीजी कॉलेज, उत्तरकाशी। 9837425684	डॉ० विकास सेमवाल, प्रा०स्वा०केन्द्र, पुरोला 8973892901	बलवीर सिंह 7895042689	UK10/1536	श्री गोपाल दत्त 9411584642
17-रामासिराई I	स्यालुका, डोखरियाणी, रौन, गुन्दिघाटगांव, बुंकरा, नागझाला, डिकालगांव, मोल्टाडी, पोरा, बेस्टी पल्ली, बेस्टी बल्ली, रामागांव, सुकडाला, सुनाली, ध्योरा लगा सुनाली, ध्योरा लगा, खडक्यासेम, घुण्डाडा, पुजेली, सुराणू की सेरी, अंगोडी, श्रीकोट,	डॉ० महिधर प्रसाद तिवारी, रासायन विज्ञान आर०सी०यू, रा०पीजी कॉलेज, उत्तरकाशी। 9458135665	डॉ० मनोज कुमार, असवाल, प्रा०स्वा०केन्द्र, गुन्दिघाटगांव 9639345165	कृष्णा सिंह 9760399905	UK10/0618	श्री धीरेन्द्र परमार 7895161149
17-रामासिराई II	मठ, महरगांव, डोखरी, लमकोटी, कण्डियालगांव, भ्रदाली, खडक्यासेम, कुमारकोट, मोल्टाडी,	श्री सचिन सेमवाल, अपर सहा० अगि०, पी.एम.जी.एस.वाई.त्र पुरोला 6399754741	डॉ० प्रतीक हयाकी, प्रा०स्वा०केन्द्र, पुरोला 8447773780	श्री कृपाल सिंह 8979864717	UA07/4221	श्री विजय कुमार 7814981416
17-बडियाड	सरगांव, लेवटाडी, पौन्टी, कसलौ, डिंगाडी, गौल, किमडार, छानिगांव	श्री सुमित जगूडी, अपर सहा० अगि०, पी.एम.जी.एस.वाई. पुरोला 8126979342	श्री कमलदास फार्मासिस्ट, प्रा०स्वा०केन्द्र, पुरोला 8057594232	श्री सतीश 8126627038	UA10/1535	श्री विक्रम सिंह नेगी 9411733019

उपरोक्त टीम अपने जोन अन्तर्गत समस्त ग्रामों की निगरानी करते हुये ग्रामवार होम क्वारेन्टाइन में रखे गये व्यक्तियों के बारे में तथा अन्य जनपदों/राज्यों/जिलों से आने वाले व्यक्तियों की पहचान एवं जांच करते हुये उन्हें होम क्वारंटीन में रखने, उनमें संक्रमण सम्बन्धी लक्षण पाये जाने पर तत्काल आईसोलेशन में भेजे जाने हेतु जिला चिकित्सालय में स्थापित वाररूम को सूचित करने की कार्यवाही करेंगे तथा इनकी ट्रेवल एवं Contact History से सम्बन्धित डाटा एकत्रित कर आख्या दैनिक रूप से वाररूम (01374-222640/01374-222126) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोरोना वायरस (covid-19) संक्रमण के बचाव सम्बन्धी जानकारी एवं जागरूकता प्रदान करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


 (डॉ० आशीष चौहान),

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या- 400/आ०प्र०प्र० (COVID-19)/2020

दिनांक 13 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि:-

1. उपरोक्त अधिकारियों/कर्मियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. उप जिलाधिकारी, पुरोला/बडकोट।
3. पुलिस उपाधीक्षक, बडकोट।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
6. जिला आयुर्वेदिक अधिकारी/होम्योपैथिक अधिकारी, उत्तरकाशी।
7. तहसीलदार, मोरी/पुरोला/बडकोट।
8. उपरोक्त सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ प्रेषित।
9. जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, उत्तरकाशी।


 अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

जोन संख्या	जोन में सम्मिलित ग्राम	कोविड मजिस्ट्रेट का नाम	स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी का नाम	पुलिस कास्टेबल/ पीओआरडी स्वयंसेवक की तैनात कर्मचारी का नाम	वाहन संख्या	वाहन चालक का नाम व मो नो
10-राजगढी	राजगढी, क्वालगांव, धराली, डख्याटगांव, पाला, मरशू, गुलाडी कोटी, बखरेटी, झुमराडा,मानी, घण्डाला, विसाटगांव, धानकी, छतरी, सिडक, गडोली, ईडक, गोना सिन्ना, कुणी, पौडी, जेष्टवाडी, विगराडी, करनाली, काण्डा, डेल्डा	श्री अनुप थपलियाल, प्रमारी उद्यान, विभाग, बडकोट 9897773275	डा0 नवीता नौटियाल, प्रा.स्व. केन्द्र, राजगढी 9634314699	कनि0 218 नापु0 श्री जयदेव सिंह 8979723812	UK10/0008	श्री अनिल, राणा 9627791782
11-गंगटाडी	गैर, बनाल, शिशाला, अरुण, बियाँली, घुण्ड, जखाली, कुड घोसाली, कोटला, नधेडगांव, नालड गौल, चपटाडी,सरनौल,बंचाणगांव, बसराली, पंटागणी, गंगटाडी, कोटी, खाण्ड, मसालगांव,फरी, नगाणगांव, धान, किसाला, कुर्सिल, सुकण, स्यालब, गैल फूलघार	श्री अरविन्द, किशोर तिवारी, प्राचार्य, रा0 महाविद्यालय, बडकोट 9412382678	डाँ0 दीपा सिंह, प्रा0स्वा0केन्द्र, खरादी 9760428393	कनि0 129 सपु0 दीपक राठौर 9557035857	UK10/0615	श्री जयप्रकाश 7895815666
12-नैगांव	नौगांव, कण्डाउ, धरीबल्ली, माटियाली, सौली, नैणी, मुंगरा, किम्मी, रिखाउ, रस्ताडी, कोटियालगाव, पलेठा, सुनारा, मंजियाली, कंसोला, खान्सी बलाडी, बगासू, तुनाल्का, माटिया, माटिया प्रथम, किसाला, मुरारी, क्वाडी, सपेटा, विंगसी	श्री अनिल सिंह गंसाई, प्रचार्य, आई0टी0आई0 बडकोट। 9411779997	डाँ0 जगदीप विष्ट, सी0एच0सी0, नौगांव 8979935450	कनि0 192 नापु0 खुशीराम 7060820433	UA10/0507	श्री विपित सिंह रावत 8979831960
13-दारसों	दारसों, कफनौल, ठोल्याका, हिमरील, गै मु0, सिमलसारी, तिया, बर्नीगाड, पमाडी, बजलाडी, नरयुंका, धारीपल्ली, पालुका, कलोगी, मानणगांव संगोली	श्री महेन्द्र सिंह, प्रमारी प्रधानाचार्य, रा0 पॉलीटेक्निक, बडकोट। 9411777878	डाँ0 मास्कर जुयाल, प्रा0स्वा0केन्द्र कफनौल 8273365439	श्री सूर्यपाल, होमगार्ड	UK07/0414	श्री जितेन्द्र 9690604215
14-कुँवा	कुवां, छुडी, तेडा, जरडा, सिंगुणी, पिफियारा, बर्नीगाड, खाटल, बिरुंथा, बिल्लागांव, गद, भौती, बिजोरी, देवल, चोपडा, न्यूडी, कसलाना, सरणचक, निसणी, खावला, कुफन, गातू, जान्दणू खिर्भू, मताडी, केवलगांव, नौगांव-गोडर, फुवाणगांव, कलोजगांव, मूल्लागांव, बुर्सी	श्री जोधराम सुजाईक, प्रधानाचार्य, रा0ई.का0 बडकोट 9458957718	डाँ0 रश्मि चन्द्र, चिकित्साधिकारी कुवाँ 9410357761	श्री नत्यु सिंह, होमगार्ड	UA-10/2066	श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान 9411142340
15-डामट	कण्डारी, खमुण्डी मल्ली, खमुण्डीतल्ली, ओडगांव, लोदन, डरोगी, झिमाणगांव, गोदीन, जुगडगांव, बडोगी, रिखांउ, दुईक, मातला, काण्डी खनाटी, कस्तोन, मुनणगांव दियाडी, सेतवाडी	श्री अखलेश प्रताप सिंह रावत, प्रधानाचार्य, रा0 ई0का0डुण्डु 9412494848	डाँ0 राजेश सिंह रावत, प्रा0स्व0 केन्द्र डामटा 6398735781	श्री विशान सिंह, होमगार्ड	UK10/0776	श्री हरेन्द्र नेगी 8126156681
पुरोला क्षेत्र						
16-कमल सिंराई- I	मंकोली, थली, छमरोटा, कामरा, सांखाल, ढकाडा, कुफारा, मैराणा, रतेडी, दणगाण, कुरडा, सिकारू, करडा, छाडा, पुरोला, हुडोली, नौलाडी, दिणाई, कन्ताडी, बिणगधेरा बल्ला, बणगधेरा पल्ला, ठडूंग, पाणीगांव, खाबलीसेरा, कुमोला, नौरी, कोरना, पुजेली, ठकराडी, मोलकट, मखना, छिवाला, देवदुंग, कोटी,	डाँ0 महेन्द्र पाल परमार, जीव जन्तु विभाग, आर0सी0यू, रा0पीजी कॉलेज, उत्तरकाशी। 9997976402	डाँ0 नितेश रावत, प्रा0स्वा0केन्द्र, पुरोला 8755956590	श्री मोहन सिंह 9760922370	UK10/0006	श्री कमल सिंह असवाल 8979064313


(X) संग्रहित

:: आदेश ::

कोरोना वायरस (covid-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद उत्तरकाशी के तहसील बडकोट, पुरोला एवं मोरी में कोरोना के संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत इस क्षेत्र में अन्य जनपदों/राज्यों/जिलों से आने वाले व्यक्तियों की पहचान, जांच करते हुये उन्हें होम क्वारंटीन में रखे जाने, व्यक्तियों में संक्रमण सम्बन्धी लक्षण पाये जाने पर तत्काल आईसोलेशन में भेजे जाने हेतु तथा जिला चिकित्सालय में स्थापित वाररूम को इस सम्बन्ध में सूचित करने हेतु निम्न प्रकार कोविड मजिस्ट्रेट नामित किये जाते हैं।

जोन संख्या	जोन में सम्मिलित ग्राम	कोविड मजिस्ट्रेट का नाम	स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी का नाम	पुलिस कास्टेबल/ पी0आर0डी0 स्वयंसेवक की तैनात कर्मचारी का नाम	वाहन संख्या	वाहन चालक का नाम व मो0 न0
मोरी क्षेत्र						
1-बडासू-अडोर	ओसला, पंवाणी, ढाटमीर, गंगाड, सौड़, सांकरि, सिदरी, कोटगांव	डॉ0 सुरेन्द्र सिंह, शारीरिक शिक्षा, विभाग आर0सी0यू0 रा0पीजी कॉलेज, उत्तरकाशी। 8057578323	डॉ विनोद कुमार घोनी, स्यानाचट्टी- 8979011617	का0 124 ए0पी0- गुंजन- 8755556525 श्री कुशल सिंह- 9456546638 / 9675116807	UK10/1939 UJVNL	श्री विजेन्द्र 853505391
2-पंचगाई	फिताडी, लिवाडी, रेक्वा, राला, कासला, धारा जखोल, पांव, तल्ला, मल्ला सोणी सट्टी, सिरगा, सुनकुण्डी	श्री प्रकाश खत्री, जिला पर्यटन विकास, अधि0 उत्तरकाशी। 8954615410	डॉ0 लबलेन्द्र सिंह, डोमालगांव- 9927563583	का028 ए0पी0 सुरजीत- 9675846462 श्री त्रपन सिंह 8954487248 8859394944	UK10TA-0785 UJVNL	श्री राकेश शाह - 6399605883
3-फतेपर्वत	सेवा, बरी, हडवाडी, चुराणू, भितरी, पुजेली, मसरी, सट्टा, दोणी, खन्ना, ग्वालगांव	श्री वीर खण्डूडी, संस्कृत विभाग, आर0सी0यू0 रा0पीजी कॉलेज, उत्तरकाशी। 9456769208	डॉ0 सोबत सिंह मण्डारी, बलाडी- 8857856927	का0 71ए0पी0 मानसिंह-7895917135 श्री विजयपाल सिंह 7579029688	UK10TA-789 UJVNL	श्री शम्भू प्रसाद - 9458149929
4-सिंगतूर	दण्गाडगांव, स्विचाणगांव, कामरा, पोखरी, गुराडी, पासा, पेंसर, देवरा, गेचवाणगांव, संरास, सालरा, कुनारा, नानई, नेटवाई, लुदराला, हल्टाडी, कलाप, बिनोल	डॉ0 बचन लाल, भूगोल आर0सी0यू0 रा0पीजी कॉलेज, उत्तरकाशी। 9411370578	डॉ0 हरदेव सिंह रावत, बडकोट- 8449595491	का0 228 ए0पी0 राधेश्याम-7505232422 श्री मायामोहन 8954889125	UK07/Tb-5048 UJVNL	श्री रितेश- 6395509739
5-गाडूगाड	खेडमी, देवजानी, जिवाणू, रमालगांव, डाण्डागांव, डोमालगांव, खरसाडी, नेत्रूसा, विंगसारी,	श्री आकाश चन्द मिश्रा, जन्तु विज्ञान, आर0सी0यू0 रा0पीजी कॉलेज, उत्तरकाशी। 9452130949	डॉ0 रश्मिचन्द, कुवा- 9410357761	का0 214ए0पी0 देवेश-8868082825	UK10/TA-0850	श्री राजीव- 7500960043
6-बंगाण- I	बरनाली, गोकुल, झोटाडी, माकुडी चिंवा, मोण्डा बलावट, थापली, अडासू, जागटा, धारा, डगठेली, किराणू, दुचाणू, आराकोट	श्री विपिन चन्द शाह, वनसपत्ति विज्ञान आर0सी0यू0 रा0पीजी कॉलेज, उत्तरकाशी। 9837286414	डॉ0 सुभाष चौहान, चिंवा- 95682011184	श्री शीशपाल सिंह 9456723703 / 9627347802	UK10/GA 0004	श्री प्यारेलाल- 9410153674
7-बंगाण- II	किरोली, कलीच, कुकरेडा, गमरी, मुटाणू, पावली, डामटी धुनारा, बामसू, मक्वाड, मैज्यणी, मौताड, बैगल, थली, ओडाटा, देवती, पेतडी	डॉ0 अर्जुन राधे, वाणिज्य विभाग आर0सी0यू0 रा0पीजी कॉलेज, उत्तरकाशी। 9411331254	फार्मारिटर विवेक सिंह असवाल, पुरोला-941097 6627	श्री अर्जुन सिंह- 7253923625 / 8006050859	UK07/TA 7069	श्री चमन सिंह- 7579195047
बडकोट क्षेत्र						
8- बडकोट	बडकोट, चक्रगांव, छटांगा, डण्डयालगांव, साडा, उपराडी, कंसेरू, खरादी, खनेडा, स्यालना, मन्थाडी, नन्दगांव, कुधनोर, बजरी, पुराजगांव, पाली, हालना	श्री पी0सी0 रावत, सिंचाई, खण्ड बडकोट 7579461662	डा0 पवन देव रावत, सी0एच0सी0 बडकोट 8899954437	कनि0 56 नापु0 मोहर सिंह 6397612142	UK10/ 4944	श्री जयेंद्र भट्ट 945814142
9-खरसाली	राना, बाडिया, दौंगुणगांव, कुठार, कुपडा, कुन्नाला, त्रिखली, खरसाली, नारायणपुरी, पिण्डकी, मदेश, बनास, निसणी, दुर्बिल	श्री सुनील रावत, सहा0समाज कल्याण अधि0, नौगांव 9410752824	डॉ0 पवन कठेत, प्रा0स्वा0केन्द्र, राना 8894842244	कनि0 56 सपु0 कपिल जोशी 8979723812	UK07/ 2630	श्री दीपेन्द्र शाह, 9068871934

क्रमशः 2



प्रेषक,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

पत्र संख्या-410/तेरह-आ0प्र0प्रा0 (CoVID-19)/2020

दिनांक 14 अप्रैल, 2020

विषय:- विवाह तथा देवीय पूजन कार्यों हेतु निर्देश निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अवगत कराना है कि वर्तमान में जनपद अन्तर्गत बड़ी संख्या में लोगों द्वारा विवाह, देवपूजन सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करने हेतु अनुमति मांगी जा रही है। वर्तमान में कोविड-19 के दृष्टिगत सम्पूर्ण लॉक डाउन के निर्देश प्राप्त है। उक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद में किसी प्रकार के धार्मिक/सांस्कृतिक/ सामाजिक आयोजन की अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है। उक्त कार्यों हेतु अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में स्थानीय जनता तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा विवाह की अनुमति हेतु बार-बार अनुरोध किया जा रहा है। विवाह एक व्यक्तिगत कार्य के अतिरिक्त सामाजिक आयोजन भी है। जिस कारण वर्तमान में विवाह की अनुमति जनपद स्तर पर नहीं दी जा रही है।


सादर अवगत कराना है कि गृह सचिव भारत सरकार के पत्रांक 40-3/2020- DM-I(A) दिनांक 10.04.2020 के द्वारा सामाजिक/सांस्कृतिक तथा धार्मिक आयोजनों के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं-

" Your kind attention is drawn to Clause 9 & 10 of the consolidated guidelines on Lockdown measures under which no religious congregation will be permitted without any exception and all social/ cultural/ religious functions/ gatherings shall be barred.

In view of the ensuing festivals in the month of April 2020 you are requested to ensure strict compliance of lockdown measures and not allow any social/ religious gathering/ procession....."

अतः उक्त के क्रम में अनुरोध है कि जनपद में धार्मिक/सांस्कृतिक/ सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी यथोचित दिशानिर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,




(डॉ० आशीष चौहान),

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।




जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

जोन संख्या	जोन में सम्मिलित ग्राम	कोविड मजिस्ट्रेट का नाम	स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी का नाम	पुलिस कास्टेबल / पीओआरओडी स्वयंसेवक की तैनात कर्मचारी का नाम	वाहन संख्या	वाहन चालक का नाम व मो नो
17-कमल सिराई- II	खाबलीसेरा, कुमोला, नौरी, कोरना, पुजेली, ठकराडी, मोलकट, मखना, छिबाला, देवदुंग, कोटी, धनपुर, चन्देरी, सौन्दाडी, नेत्री, स्वील, गैण्ड, खलाडी, पुजेली (खलाडी), चपटाडी।	डॉ० कैलाश सिंह रावत, आसि०प्रो० रसायन विज्ञान, आर०सी०यू, रा०पीजी कॉलेज, उत्तरकाशी। 9837425884	डॉ० दिनेश भट्ट, चिकित्साधिकारी रा०होम्यो०, सामु०स्वा०केन्द्र, पुरोला 9456118284	बलवीर सिंह 7895042689	UK10/1536	श्री गोपाल दत्त 9411584642
18-रामासिराई I	स्यालुका, डोखरियाणी, रौन, गुन्दियाटगांव, बुंकरा, नागझाला, ढिकालगांव, मोल्टाडी, पोरा, बेस्ती पल्ली, बेस्ती बल्ली, रामागांव, सुकडाला, सुनाली, ध्योरा लगा सुनाली, ध्योरा लगा, खडक्यासेम, घुण्डाडा, पुजेली, सुराणू की सेरी, अंगोडी, श्रीकोट,	डॉ० महिधर प्रसाद तिवारी, आसि०प्रो०रसायन विज्ञान आर०सी०यू, रा०पीजी कॉलेज, उत्तरकाशी। 9458135665	श्री विपिन मोहन भट्ट, फार्मासिस्ट, रा०आयु०चि० गुदियाटगांव 8126441818	कृष्णा सिंह 9760399905	UK10/0618	श्री धीरेन्द्र परमार 7895161149
19-रामासिराई II	मठ, महरगांव, डोखरी, लमकोटी, कण्डियालगांव, भ्रदाली, खडक्यासेम, कुमारकोट, मोल्टाडी,	श्री अनिल प्रसाद नौटियाल, अवर सहायक अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई., पुरोला- 9917323507	डॉ प्रतीक हयांकी, प्रा०स्वा०केन्द्र, पुरोला 8447773780	श्री कृपाल सिंह 8979864717	UA07/4221	श्री विजय कुमार 7814981416
20-बडियाड	सरगांव, लेवटाडी, पौन्डी, कसलौं, डिगाडी, गौल, किमडार, छानिगांव	श्री मोहन सिंह रावत, सहा०अभि० सिंचाई खण्ड, पुरोला- 9917919083	श्री मनोहर श्याम नौटियाल, फार्मासिस्ट, रा०आयु०चि० सरबडियार 9410132410	श्री सतीश 8126627038	UA10/1535	श्री विक्रम सिंह नेगी 9411733019

उपरोक्त टीम अपने जोन अन्तर्गत समस्त ग्रामों की निगरानी करते हुये ग्रामवार होम क्वारेन्टाइन में रखे गये व्यक्तियों के बारे में तथा अन्य जनपदों/राज्यों/जिलों से आने वाले व्यक्तियों की पहचान एवं जांच करते हुये उन्हें होम क्वारंटीन में रखने, उनमें संक्रमण सम्बन्धी लक्षण पाये जाने पर तत्काल आईसोलेशन में भेजे जाने हेतु जिला चिकित्सालय में स्थापित वाररूम को सूचित करने की कार्यवाही करेंगे तथा इनकी ट्रेवल एवं Contact History से सम्बन्धित डाटा एकत्रित कर आख्या दैनिक रूप से वाररूम (01374-222640/01374-222126) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोरोना वायरस (covid-19) संक्रमण के बचाव सम्बन्धी जानकारी एवं जागरूकता प्रदान करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


(डॉ० आशीष चौहान),
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।


कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या-412/आ०प्र०प्रा० (COVID-19)/2020

दिनांक 14 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि:-

1. उपरोक्त अधिकारियों/कर्मियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. उप जिलाधिकारी, पुरोला/बडकोट।
3. पुलिस उपाधीक्षक, बडकोट।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
6. जिला आयुर्वेदिक अधिकारी/होम्योपैथिक अधिकारी, उत्तरकाशी।
7. तहसीलदार, मोरी/पुरोला/बडकोट।
8. उपरोक्त सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ प्रेषित।
9. जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, उत्तरकाशी।


अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

जोन संख्या	जोन में सम्मिलित ग्राम	कोविड मजिस्ट्रेट का नाम	स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी का नाम	पुलिस कास्टेबल/ पीओआरओडी स्वयंसेवक की तैनात कर्मचारी का नाम	वाहन संख्या	वाहन चालक का नाम व मो नो
10-राजगढ़ी	राजगढ़ी, क्वालगांव, घराली, डख्याटगांव, पाला, मरशू, गुलाडी कोटी, बखरेटी, झुमराडा,मानी, घण्डाला, विसाटगांव, धानकी, छतरी, सिङ्क, गडोली, ईडक, गोना सिन्ना, कुणी, पौडी, जेष्टवाडी, विगराडी, करनाली, काण्डा, डेल्डा	श्री अनुप थपलियाल, प्रमारी उद्यान, विभाग, बडकोट 9897773275	श्री प्रदीप उनियाल, फामासिस्ट, रा0एले0चि0, राजगढ़ी- 9457655689 श्री मानोज व्यास- फामासिस्ट, रा0आयु0चि0, राजगढ़ी 9997313848	कनि0 218 नापु0 श्री जयदेव सिंह 8979723812	UK10/0008	श्री अनिल, राणा 9627791782
11-गंगटाडी	गैर, बनाल, शिशाला, अरुण, बियाँली, घुण्ड, जखाली, कुड़ घोसाली, कोटला, नथेडगांव, नाल्ड गौल, चपटाडी,सरनौल,बंघाणगांव, बसराली, पंटागणी, गंगटाडी, कोटी, खाण्ड, मसालगांव,फरी, नगाणगांव, धान, किसाला, कुर्सिल, सुकण, स्यालब, गैल फूलधार	श्री प्रकाश खत्री, जिला पर्यटन विकास, अधि0 उत्तरकाशी। 8954615410	डॉ0 दीपा सिंह, प्रा0स्वा0केन्द्र, खरादी 9760428393	कनि0 129 सपु0 दीपक राठोर 9557035857	UK10/0615	श्री जयप्रकाश 7895815666
12-नैगांव	नौगांव, कण्डाउ, धरीबल्ली, मटियाली, सौली, नैणी, मुंगरा, किम्मी, रिखाउ, रस्ताडी, कोटियालगाव, पलेठा, सुनारा, मंजियाली, कंसोला, खान्सी बलाडी, बगासू, तुनाल्का, माटिया, माटिया प्रथम, किसाला, मुरारी, क्वाडी, सपेटा, विगसीएवं पैंटी क्षेत्र के गांव	श्री निरंजन कुकशाल, प्रधानाध्यपक, आई0ओआई0 बडकोट- 9410978521	डॉ0 हरप्रीत कौर, चिकित्साधिकारी, रा0होम्यो0 चिकि0 नौगांव 9452054960	कनि0 192 नापु0 खुशीराम 7060820433	UA10/0507	श्री विपित सिंह रावत 8979831960
13-दारसाँ	दारसाँ, कफनौल, टोल्यांका, हिमरोल, नै मु0, सिमलसारी, तिया, बर्नीगाड, पगाडी, बजलाडी, नरयुंका, धारीपल्ली, पालुका, कलोगी, मानणगांव संगोली	श्री रामनरेश गुलेरिया, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बडकोट- 9412948423	डॉ मास्कर जुयाल, प्रा0स्वा0केन्द्र कफनौल 8273365439	श्री सूर्यपाल, होमगार्ड	UK07/0414	श्री जितेन्द्र 9690604215
14-कुँवा	कुँवा, छुडी, तैडा, जरडा, सिंगुणी, पिफियारा, बर्नीगाड, खाटल, बिरुंथा, बिल्लांगवा, गढ, भौंती, बिजोरी, देवल, चोपडा, न्यूडी, कसलाना, सरणचक, निसणी, खावला, कुफन, गातू, जान्दणू खिर्मू, मताडी, केवलगांव, नौगांव-गोडर, फुवाणगांव, कलोजगांव, मूलागांव, बुर्सी	श्री जोधराम सुजाईक, प्रधानाचार्य, रा0ई.का0 बडकोट 9458957718	डॉ0 विरेन्द चन्द, चिकित्साधिकारी, छमरोटा 9760965206	श्री नत्यु सिंह, होमगार्ड	UA-10/2066	श्री वीरेन्द सिंह चौहान 9411142340
15-डामट	कण्डारी, खमुण्डी मल्ली, खमुण्डीतल्ली, ओडगांव, लोदन, डरोगी, झिमाणगांव, गोदीन, जुगडगांव, बडोगी, रिखाउ, दुईक, मातला, काण्डी खनाटी, कस्लोन, मुनणगांव दियाडी, सेतवाडी	डॉ0 देवी दत्त पेन्थूली, एसो0प्रा0 संस्कृत विमान, आर0सी0यू.रा0पीजी कॉलेज, उत्तरकाशी- 9410781617	डॉ राजेश सिंह रावत, प्रा0स्व0 केन्द्र डामटा 6398735781	श्री विशान सिंह, होमगार्ड	UK10/0776	श्री हरेन्द्र नेगी 8126156681
पुरोला क्षेत्र						
16-कमल सिंराई- I	भंकोली, धली, छमरोटा, कभरा, सांखाल, डकाडा, कुफारा, मैराणा, रतेडी, दणगाण, कुरडा, सिकारू, करडा, छाडा, पुरोला, हुडोली, नौलाडी, विणाई, कन्ताडी, बिणगधेरा बल्ला, बणगधेरा पल्ला, ठडूंग, पापीगांव, खाबलीसेरा, कुमोला, नौरी, कोरना, पुजेली, ठकराडी, मोलकट, मखना, छिबाला, देवदुंग, कोटी,	डॉ0 महेन्द्र पाल परमार, आसि0प्रा0 वनस्पति विज्ञान, आर0सी0यू.रा0पीजी कॉलेज, उत्तरकाशी। 9997976402	डॉ नितेश रावत, प्रा0स्वा0केन्द्र, पुरोला 8755956590 श्री पंकज सजवाण, फामासिस्ट, रा0आयु0चि0, हुडोली-9520227584	श्री मोहन सिंह 9760922370	UK10/0006	श्री कमल सिंह असवाल 8979064313

:: आदेश ::

इस कार्यालय के आदेशा पत्र 400/(CoVID-19)/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के द्वारा जारी आदेश में आशिक संशोधन करते हुये कोरोना वायरस (CoVID-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। जनपद उत्तरकाशी के तहसील बडकोट, पुरोला एवं मोरी में कोरोना के संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत इस क्षेत्र में अन्य जनपदों/राज्यों/जिलों से आने वाले व्यक्तियों की पहचान, जांच करते हुये उन्हें होम क्वारंटीन में रखे जाने, व्यक्तियों में संक्रमण सम्बन्धी लक्षण पाये जाने पर तत्काल आईसोलेशन में भेजे जाने हेतु तथा जिला चिकित्सालय में स्थापित वाररूम को इस सम्बन्ध में सूचित करने हेतु निम्न प्रकार कोविड मजिस्ट्रेट नामित किये जाते हैं।

जोन संख्या	जोन में सम्मिलित ग्राम	कोविड मजिस्ट्रेट का नाम	स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी का नाम	पुलिस कास्टेबल/ पी0आर0डी0 स्वयंसेवक की तैनात कर्मचारी का नाम	वाहन संख्या	वाहन चालक का नाम व मो0 न0
मोरी क्षेत्र						
1-बडासू-अडोर	ओसला, पंवाणी, ढाटमीर, गंगाड, सौड़, सांकरी, सिदरी, कोटगांव	डॉ0 मनोज फोदणी, आसि0प्र0 अग्रेजी विभाग, आर0सी0यू, रा0 पीजी कॉलेज, उत्तरकाशी। 7830354722	1-श्री राजेन्द्र सिंह फार्मासिस्ट, रा0आयु0चि0 ढाटमीर- 9458388911 2-श्री संदीप रावत, फार्मासिस्ट, आयु0चि0 सांकरी-9456335092	का0 124 ए0पी0- गुंजन- 8755556525 श्री कुशाल सिंह- 9456546638 / 9675 116807	UK10/1939 UJVNL	श्री विजेन्द्र 853505391
2-पंचगाई	फिताडी, लिवाडी, रेक्चा, राला, कासला, धारा जखोल, पांव, तल्ला, मल्ला सोणी सट्टी, सिरगा, सुनकुण्डी	श्री अभिनव कुमार नौटियाल, सहा0 निदेशक, दुग्ध विकास-7534804926	1-श्री सतीश बडोनी, फार्मासिस्ट, रा0आ0चि0 फिताडी-9634883603 2- श्रीमती अनु जोगेला, फार्मासिस्ट रा0आ0चि0 जखोल-9690856719	का028 ए0पी0 सुरजीत- 9675846462 श्री त्रपन सिंह 8954487248 8859394944	UK10TA-0785 UJVNL	श्री राकेश शाह 6399605883
3-फतेपर्वत	सेवा, बरी, हडवाडी, नुराणू, भितरी, पुजेली, मसरी, सट्टा, दोणी, खन्ना, ग्वालगांव	श्री एन0एस0 रावत, जिला निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरकाशी- 9411786690	श्री शैलेन्द्र कैन्तुरा, फार्मासिस्ट रा0आ0चि0-दोणी-81260403 29	का0 71ए0पी0 मानसिंह- 7895917135 श्री विजयपाल सिंह 7579029688	UK10TA-789 UJVNL	श्री शम्भू प्रसाद 9458149929
4-सिंगतूर	दण्गाडगांव, स्विचाणगांव, कामरा, पोखरी, गुराडी, पासा, पेंसर, देवरा, गेचवाणगांव, संरास, सालरा, कुनारा, नानई, नेटवाड, लुदराला, हल्लाडी, कलाप, बिनोल	श्री सचिन कुमार, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी- 7834808800	डॉ0 अनिल कुमार दूबे, चिकित्साधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्रमोरी-945676186 2, 9415591606 श्री प्रशोव कुमार, फार्मासिस्ट रा0आ0चि0 डोगालगांव-9410159466	का0 228 ए0पी0 राधेश्याम-75052324 22 श्री मायामोहन 8954889125	UK07/Tb-5048 UJVNL	श्री रितेश- 6395509739
5-गाडूगाड	खंडमी, देवजानी, जिवाणू, रमालगांव, डाण्डगांव, डोगालगांव, खरसाडी, नेत्रूसा, विगसारी,	डा0 विश्वनाथ राणा, आसि0प्र0 अग्रेजी विभाग, आर0सी0यू, रा0पीजी कॉलेज, उ0-7409391731	डॉ0 लवकेन्द्र सिंह, चिकित्साधिकारी- 9927563533	का0 214ए0पी0 देवेश-8868082825	UK10/TA-0850	श्री राजीव- 7500960043
6-बंगाण-I	बरनाली, गोकुल, झोटाडी, माकुडी चिंवा, मोण्डा बलावट, थापली, अढासू, जागटा, धारा, डगोली, किराणू, दुचाणू, आरकोट	श्री कमल कुमार विष्ट आसि0प्र0 रासायन विभाग, आर0सी0यू, रा0पीजी कॉलेज 8859209422	श्री मनमोहन- फार्मासिस्ट रा0आ0चि0चिवाँ-8941948528 डॉ0 सुमाष चौहान चिकित्साधिकारी फार्मासिस्ट रा0आ0चि0चिवाँ-9410190195 नागेन्द्र महन्त, फार्मासिस्ट दुचाणू-8941948528	श्री शीशपाल सिंह 9456723703 / 9627 347802	UK10/G A 0004	श्री प्यारेलाल- 9410153674
7-बगाण-II	किरोली, कलीच, कुकरेडा, गमरी, मुटाणू, पावली, डामटी धुनारा, बामसू, भक्वाड, मैज्यणी, मौताड, बैगल, धली, ओडाटा, देवती, पेतडी	डॉ0 दीवाकर बौद्ध, आसि0प्र0 वाणिज्य आर0सी0यू, रा0पीजी कॉलेज, उ0- 9456157054	श्री मनोज प्रसाद, फार्मासिस्ट रा0आ0चि0 भुटाणू-9568883760 श्री विवेक सिंह फार्मासिस्ट, रा0आ0चि0 9410976627	श्री अर्जुन सिंह- 7253923625 / 8006050859	UK07/TA 7069	श्री चमन सिंह- 7579195047
बडकोट क्षेत्र						
8- बडकोट	बडकोट, चक्रगांव, छटांगा, डण्डयालगांव, साडा, उपराडी, कंसेरू, खरादी, खनेडा, स्यालना, मन्याडी, नन्दगांव, कुधनोर, बजरी, पुराजगांव, पाली, हालना एवं पैंटी क्षेत्र के गांव	श्री पी0सी0 रावत, सिंचाई, खण्ड बडकोट 7579461662	श्री अमित मण्डारी, फार्मासिस्ट, रा0एले0चि0 खरादी-8979002468 श्री धनन्जय मण्डरी, फार्मासिस्ट, रा0आयु0चि0 खरसाली- 945636043	कनि0 58 नापु0 मोहर सिंह 6397612142	UK10/ 1944	श्री जयेंद्र भट्ट 9458134142
9-खरसाली	राना, बाडिया, दोंगुणगांव, कुठार, कुपडा, कुशाला, त्रिखली, खरसाली, नारायणपुरी, पिण्डकी, मदेश, बनास, निसणी, दुर्बिल	श्री सुनील रावत, सहा0समाज कल्याण अधि0, नोंगांव 9410752824	डॉ0 विनोद कुमार घोनी, स्थानाचट्टी- 8979011617 श्री आनन्द सिंह रावत, फार्मासिस्ट, रा0एले0चि0 राना- 8126314238	कनि0 58 सपु0 कपिल जोशी 8979723812	UK07/ 2630	श्री दीपेन्द्र शाह, 9068871934

क्रमशः...2


08/04/2020

:: आदेश ::

वर्तमान में कोरोना वायरस (CoVID-19) का विश्व भर में प्रकोप के कारण Epidemic Disease अधिसूचित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत जनपद उत्तरकाशी के तहसील बडकोट, पुरोला एवं मोरी में कोरोना के संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत इस क्षेत्र में अन्य जनपदों/राज्यों/जिलों से आने वाले व्यक्तियों की पहचान, जांच करते हुये उन्हें होम क्वारंटीन में रखे जाने, व्यक्तियों में संक्रमण सम्बन्धी लक्षण पाये जाने पर तत्काल आईसोलेशन में भेजे जाने हेतु तथा जिला चिकित्सालय में स्थापित वाररूम को इस सम्बन्ध में सूचित करने हेतु इस कार्यालय के आदेश पत्र 412/आ0प्र0प्राधि0/(CoVID-19)/2020 दिनांक 14 अप्रैल, 2020 के द्वारा जोन डामटा-15 कोविड मजिस्ट्रेट हेतु डॉ० देवी दत्त पेन्चूली, एस०प्र० संस्कृत विभाग, आर०सी०यू०पी० कॉलेज, उत्तरकाशी की तैनाती की गयी है। श्री देवी दत्त पेन्चूली को कार्यमुक्त करते हुये इनके स्थान पर श्री भीम सिंह महर, अपर सहायक अभियन्ता, ए०डी०बी०निर्माण खण्ड, उत्तरकाशी (8475054694) की तैनाती की जाती है।

उपरोक्त जोनल मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये जाते है कि अपने जोन अन्तर्गत समस्त ग्रामों की निगरानी करते हुये ग्रामवार होम क्वारेन्टाइन मे रखे गये व्यक्तियों के बारे में तथा अन्य जनपदों/राज्यों/जिलों से आने वाले व्यक्तियों की पहचान एवं जांच करते हुये उन्हें होम क्वारंटीन में रखने, उनमें संक्रमण सम्बन्धी लक्षण पाये जाने पर तत्काल आईसोलेशन में भेजे जाने हेतु जिला चिकित्सालय में स्थापित वाररूम को सूचित करने की कार्यवाही करेंगे तथा इनकी ट्रेवल एवं Contact History से सम्बन्धित डाटा एकत्रित कर आख्या दैनिक रूप से वाररूम (01374-222640/01374-222126) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोरोना वायरस (covid-19) संक्रमण के बचाव सम्बन्धी जानकारी एवं जागरूकता प्रदान करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


(डॉ० आशीष चौहान),

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।


कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या-436/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020

दिनांक 17 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि-

1. उपरोक्त अधिकारियों/कर्मियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. उप जिलाधिकारी, पुरोला/बडकोट।
3. पुलिस उपाधीक्षक, बडकोट।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
5. जिला आयुर्वेदिक अधिकारी/होम्योपेथिक अधिकारी, उत्तरकाशी।
6. उपरोक्त सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ प्रेषित।
7. जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, उत्तरकाशी।



अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या:-
प्रतिलिपि:-

442 तेरह-आ0प्र0प्राधि0/(covid- 19) /2020
निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक 18 अप्रैल, 2020

1. पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तरकाशी।
2. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक, जनपद उत्तरकाशी।
3. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत कोरोना वायरस(COVID-19) संक्रमण से नियंत्रण संबंधी ड्यूटी में तैनात उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट एवं टौंस वन प्रभाग, पुरोला के अधिकारी/कर्मचारी एवं वाहनों को ड्यूटी से मुक्त करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित कर्मियों को शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।



अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

:: आदेश ::

मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-548/X-1-2020-14(56)/ 2020 दिनांक 09.04.2020 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में फायर सीजन प्रारम्भ होने से वनाग्नि से वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के दृष्टिगत वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें कोरोना वायरस से जनित संक्रमण की रोकथाम हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में ही ली जाय तथा वन विभाग के सरकारी वाहनों को भी अत्यन्त आकस्मिक स्थिति में ही आबद्ध किया जाय के निर्देश दिये गये हैं।


अतः उक्त के दृष्टिगत प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग के पत्र सं० 4178/27-1, दिनांक 10.04.2020 एवं वर्तमान में जनपद में वनाग्निकाल प्रभावी है तथा तापमान में वृद्धि होने के फलस्वरूप वनाग्नि की घटनायें होने की प्रबल संभावना को मध्य नजर रखते हुये एवं क्षेत्रीय प्रभाग अर्थात् उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट एवं टौंस वन प्रभाग, पुरोला वनाग्नि के दृष्टि से संवेदनशील होने के कारण प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं वाहनों को कोरोना वायरस (CoVID-19) संक्रमण से नियंत्रण हेतु इस कार्यालय के आदेश संख्या 200/तेरह-आ०प्राधि०/कोरोना/2020, दिनांक 23.03.2020 एवं संख्या- 189/तेरह-आ०प्राधि०/कोरोना/2020, दिनांक 21.03.2020 द्वारा तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यमुक्त करते हुये उनके स्थान पर निम्न विवरणानुसार सेक्टर प्रभारी तैनात किये जाते हैं।

क्र०सं०	पूर्व में तैनात सेक्टर प्रभारी	वर्तमान तैनाती हेतु सेक्टर प्रभारी	क्षेत्र	संबंधित थाना
1	श्री नागेन्द्र रावत, वन क्षेत्राधिकारी, धरासू।	श्री मुकेश रतूड़ी, वन क्षेत्राधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग। 9411154943	बड़ेथी धनपुर एवं ब्रहमखाल	धरासू
2	श्री रविन्द्र पुण्डीर, वन क्षेत्राधिकारी, बाड़हाट।	श्री कैलाश नौटियाल, वन क्षेत्राधिकारी, टिहरी डैम-2 वन प्रभाग। 9760927667	गंगोरी क्षेत्र	मनेरी
3	श्री लाखीराम आर्य, वन क्षेत्राधिकारी, टकनौर।	श्री रूपमोहन नौटियाल वन क्षेत्राधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग। 9411362521	भटवाड़ी क्षेत्र	मनेरी

उक्त के अतिरिक्त आदेश संख्या- 189/तेरह-आ०प्राधि०/कोरोना/2020, दिनांक 21.03.2020 से तैनात किये गये निम्नलिखित वन दरोगा/वन रक्षक को कोरोना संक्रमण ड्यूटी से मुक्त किया जाता है।

क्र० सं०	ड्यूटी स्थान	सदस्य का नाम
1	धौन्तरी	श्री भगवती प्रसाद उनियाल, वन दरोगा, सौरा अनुभाग, मो०- 9411332649
2		श्री प्रकाश चन्द्र शाह, वन रक्षक, मो०- 8979202600
3		श्री सतेन्द्र सिंह नेगी, वन रक्षक, मो०- 7060101409


इसके अतिरिक्त समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि तापमान बढ़ने की सम्भावना के कारण वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि होने की सम्भावना के दृष्टिगत अपने नियंत्रणाधीन संसाधनों/क्षेत्रीय कर्मचारियों/कन्ट्रोल रूम को 24X7 घंटे कार्यशील करते हुये घटनाओं से आम जनमानस को सुरक्षा प्रदान किये जाने तथा घटनाओं की रोकथाम हेतु सजग रहते हुये वनाग्नि की घटना घटित होने पर तत्काल नियंत्रित करवना सुनिश्चित करेंगे तथा जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को निरन्तर सूचना से अवगत कराया जायेगा।


 (डॉ० आशीष चौहान)
 अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
 जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

23	<p>वाणिज्य एवं निजी क्षेत्र- प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रसारण, डी0टी0एच0 एवं केबल सेवायें, आई0टी0 एवं आई0टी0 सम्बन्धित सेवायें- 50 प्रतिशत कार्यक्षमता के साथ, डाटा एवं कॉल सेन्टर्स केवल सरकारी कार्य कलापों हेतु, सरकारी मान्यता प्राप्त ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा केन्द्र, ई-वाणिज्यक कम्पनिया एवं ई-वाणिज्यक ऑपरेटर्स द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन आवश्यक अनुमति के द्वारा प्रयोग में लाये जा सकते हैं। कोरियर सेवायें, ऐसे होटल और होम स्टे लॉज, मोटेल, जहां पर्यटक/यात्री लॉक डाउन के कारण फँसे हैं अथवा मेडिकल एवं आपातकालीन स्टाफ, हवाई कर्मी क्वारंटाईन सुविधा के लिये चिन्हित/ उपयोग में लाये गये स्थल, स्वनियोजित व्यक्तियों यथा इलेक्ट्रीशियन, आई0टी0 रिपेयर्स, प्लम्बरर्स, मोटर मैकेनिक एवं बढ़ई।</p>	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी
24	<p>लॉक डाउन की अवधि में प्रदेश के शासकीय कार्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में-</p> <p>मा0 मुख्य सचिव महोदय आदेश सं. 235/XXXI(15)G-04(सा0) दिनांक 19-04-2020 के अनुसार शासकीय कार्यालय खोले जाने एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं. 232/XXXI(15)G-04(सा0) दिनांक 18-03-2020 में निहित व्यवस्था दिनांक 03-05-2020 तक यथावत रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं।</p>	समस्त कार्यालयाध्यक्ष।

(02)- उपरोक्त विषयक भारत सरकार के निर्गत दिशा-निर्देश की प्रति जिसमें सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनने की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी एवं स्वच्छता बनाये रखने सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन व सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में शामिल है, इस आशय के साथ संलग्न है कि अधिकृत अधिकारी/विभाग इन सभी निर्देशों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करवाये जाने के प्रति उत्तरदायी होंगे।

यह आदेश जनपद के समस्त क्षेत्रान्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 एवं महामारी अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।



 (डॉ० आशीष चौहान)
 जिला मजिस्ट्रेट,
 उत्तरकाशी

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या- ²¹⁴तेरह-आ०प्र०प्राधि/ CoVID-19 /2020 दिनांक- 19 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव- मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. सचिव महोदय, मा0 श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव महोदय, गृह, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5. आयुक्त महोदय, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
6. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
7. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
8. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
9. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
10. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
11. समस्त तहसीलदार, जनपद उत्तरकाशी।
12. उपरोक्त समस्त तैनात अधिकारीगण, जनपद उत्तरकाशी।


 जिला मजिस्ट्रेट,
 उत्तरकाशी।

17	<p>चिकित्सा एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों एवं वाहनों के लिए</p>	<p>सम्बन्धित उप जिलाधिकारी</p>
18	<p>कृषि और बागवानी गतिविधियों पूरी तरह संचालित होगी, खेत में किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेत का संचालन किया जायेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परिचालनों सहित कृषि उत्पाद खरीद में लगी ईकाईयां संचालित होंगी, कृषि मशीनरी की दुकानें तथा इसके पार्ट्स और इसके मरम्मत हेतु प्रतिष्ठान, फर्म मशीनरी से सम्बन्धित कस्टम हायरिंग सेन्टर, उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों का विनिर्माण वितरण और खुदरा, कटाई व बुवाई करने वाली सम्बन्धित मशीनों का आवागमन संयुक्त अनाज काटने वाले मशीन व अन्य कृषि बागवानी उपकरण।</p>	<p>मुख्य कृषि अधिकारी मुख्य उद्यान अधिकारी</p>
19	<p>मत्स्य पालन— 1— मत्स्य पालन एवं मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को मत्स्य पालन कार्यों की अनुमति रहेगी, जिसमें फीडिंग एवं रख-रखाव, कटाई, प्रसंस्करण, कोल्ड चैन बिक्री एवं विपणन सभी सम्मिलित रहेंगे। 2— हैचरी, चारा संयंत्र बाणिज्यक ऐक्वीरिया। 3— विपणन का कार्य दो पहिया गाड़ी से किया जाता है 01 व्यक्ति अथवा 04 पहिया वाहन से विपणन कार्य किये जाने पर अधिकतम 02 व्यक्ति ही अनुमन्य होंगे।</p>	<p>सहायक निदेशक, मत्स्य की आख्या पर विपणन कार्य हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी</p>
20	<p>पशुपालन एवं सम्बद्ध कार्यों हेतु— दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, दुग्ध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण व बिक्री एवं आपूर्ति हेतु परिवहन, पशुपालन फार्म, मुर्गी पालन व अन्य पशुपालन हेतु गतिविधियों का संचालन, पशुओं के चारे के उत्पादन हेतु उपयोग में लाये जाने वाला कच्चा माल सोया, मक्का इत्यादि का उत्पादन, पशुओं के आश्रय हेतु आश्रय स्थलों का निर्माण जैसे गौशाला।</p>	<p>मुख्य पशु चिकित्साधिकारी</p>
21	<p>ग्रामीण क्षेत्र में संचालित उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थिति ईकाईयां अन्य औद्योगिक ईकाईयां, औद्योगिक क्षेत्र, दवाओं, चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों, कच्चे आवश्यक वस्तुओं की निर्माण ईकाईयां सूचना प्रौद्योगिकी हार्ड वेयर की निर्माण की ईकाईयां पैकेजिंग सामग्री की निर्माण ईकाई, नगर निगम/नगर पालिका की सीमाओं से बाहर ईट भट्टे खाद्य प्रसंस्करण ईकाईयां इत्यादि (मुख्य सचिव उत्तराखण्ड भासन के संलग्न पत्र संख्या-पी0एस0/51/मु.स./2020/एम0एस0एम0ई0 के अनुसार)</p>	<p>महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र</p>
22	<p>सभी सार्वजनिक निजी स्वास्थ्य सेवायें— सभी अस्पतालों में एन0-95 मास्क, पीपीई व संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपकरण पर्याप्त मात्रा में अनिवार्य रूप से रहेंगे, टेली मेडिसन के माध्यम से टेली कन्सल्टेन्सी व चिकित्सकीय परामर्श, डिस्पेंसरीज,केमिस्टस, फार्मसीज, जन औषधी केन्द्र और मेडिकल उपकरणों की दुकानों सहित सभी प्रकार की दवा की दुकानें चिकित्सा प्रयोगशालायें और संग्रह केन्द्र, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब्स कोविड-19 से सम्बन्धित अनुसंधान करने वाले संस्थान, पशु चिकित्सा अस्पताल, ऑषधालय, क्लीनिक, पैथालॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति प्राधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जो आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था के सहभागी हों या कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रयास करते हैं जिसमें होम केयर प्रोवाइडर, डाईनॉस्टि, अस्पतालों में आपूर्ति करने वाली फर्म शामिल हैं दवाओं फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन की विनिर्माण ईकाईयां, उनके पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल और मध्यवर्ती सामग्री का उत्पादन, चिकित्सा/स्वास्थ्य सम्बन्धी बुनियादी ढाँचे का निर्माण जिनमें एम्बुलेंस भी शामिल है आवागमन (राज्य के अन्दर और बाहर)— सभी चिकित्सा और पशु चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्सों, पेरामेडिकल स्टाफ, लैब तकनीशियन, मिल वाइफस व अन्य अस्पताल में सहायता सेवाएँ, जिनमें एम्बुलेंस भी सम्मिलित है।</p>	<p>सम्बन्धित उप जिलाधिकारी</p>

क्रमशः

10	<p>सामाजिक क्षेत्र- शिशु, दिव्यांग, मानसिक रूप से दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं व विधवाओं हेतु आश्रय स्थल का संचालन। किशोर एवं किशोरी हेतु आश्रय स्थल का संचालन का वृद्धावस्था, विधवा, स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों, भविष्य निधि सगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा, पेंशन का वितरण। Obsevation Homes, After care Homes और किशोर गृह</p>	<p>जिला समाज कल्याण, उत्तरकाशी।</p>
11	<p>आंगनवाडी केन्द्रों का संचालन- 15 दिन में एक बार लाभार्थियों के घर खाद्य पदार्थ एवं अन्य पोषण तत्वों का वितरण</p>	<p>जिला कार्यक्रम एवं बाल विकास अधिकारी</p>
12	<p>सार्वजनिक सेवार्ये- ऊर्जा का उत्पादन एवं पारेशन एवं वितरण</p>	<p>अधिकासी अभियन्ता, विधुत वितरण खण्ड की आख्या पर अपर जिलाधिकारी</p>
	<p>डाक घरों सहित डाक का विवरण</p>	<p>अधीक्षक डाकघर</p>
	<p>जल स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबन्धन सेवा</p>	<p>अधिकासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत/ अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत की आख्या पर अपर जिलाधिकारी</p>
	<p>दूर संचार एवं इन्टरनेट सेवाओं का संचालन</p>	<p>अपर जिलाधिकारी</p>
	<p>माल/कारगों सेवाओं की ढुलाई एवं आवागमन समस्त आवश्यक सामग्री का आवागमन।</p>	<p>अपर जिलाधिकारी</p>
13	<p>सूचीबद्ध निर्माण कार्य- नगर निगम/नगरपालिकाओं की सीमा से बाहर सड़कों/राजमार्गों/ सिचाई परियोजनाएँ, औद्योगिक परियोजनाये, औद्योगिक क्षेत्र में स्थित परियोजनाएँ, अक्षय उर्जा परियोजनाओं का निर्माण नगर पालिकाओं की सीमा के अर्न्तगत जहां पर श्रमिक उपलब्ध हैं और बाहर से श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है उन स्थानों पर सार्वजनिक निर्माण परियोजना से सम्बन्धित गतिविधियों को जारी रखना।</p>	<p>सम्बन्धित उप जिलाधिकारी</p>
14	<p>आवश्यक सामग्री जैसे- आवश्यक सामग्री के आवागमन हेतु समस्त ट्रक व अन्य वाहन जिसमें 02 वाहन चालक व क्लीनर । वैध ड्राईविंग लाईसेन्स के साथ सामग्री की माल ढुलाई एवं वापसी हेतु खाली ट्रक को अनुमति होगी राजमार्गों पर अवस्थित ट्रकों की मरम्मत हेतु दुकानें व भोजनालय की सशर्त अनुमति।</p>	<p>सम्बन्धित उप जिलाधिकारी</p>
15	<p>आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु अनुमति- आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृखला में सम्मिलित समस्त सुविधायें जैसे उत्पादन, होल सेल/रीटेल, बडी ईटें एवं मोटार् भण्डारण या ई-कॉमर्स कम्पनियों को सख्ती से सामाजिक दूरी का पालन करते हुये अनुमति।</p>	<p>सम्बन्धित उप जिलाधिकारी</p>
16	<p>दुकानें (किराणा और आवश्यक सामान बेचने वाले एकल दूकानें) और वाहन, राशन की दुकानों सहित(पी0डी0एस0 सहित) भोजन व किराणे का सामान(दैनिक उपयोग के लिए) स्वच्छता की वस्तुयें फल व सब्जियां, डेरी व दुग्ध, मुर्गी मांस व मछली(जिनके पास वैध लाईसेन्स हो) पशुचारा आदि को सख्ती से सामाजिक दूरी का पालन करते हुये अनुमति केवल प्रातः 07 बजे से आपराहन 01 बजे तक। व्यक्तिगत लोगों के आवागमन को न्यून करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा होम डिलिवरी को बढ़ावा दिया जाना व समन्वय स्थापित करना।</p>	<p>सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित थानाध्यक्ष</p>

:: आदेश ::

कोरोना वायरस (कोविड-19) सक्रमण की रोकथाम हेतु लॉकडाउन का द्वितीय चरण दिनांक 15.04.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक लागू होने से गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020 दिनांक 15.04.2020 आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 16.04.2020 के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड भासन के पत्र संख्या- पी.एस./51/मु.स./2020/एम.एस.एम.ई दिनांक 17.04.2020 के अनुपालन में दिनांक 20.04.2020 से विभिन्न आवश्यक सेवाओं को संचालित किये जाने के क्रम में कतिपय शर्त व प्रतिबन्धों के साथ अनुमति निर्गत करने तथा तदनुसार पास जारी करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है-

क्र० सं०	स्थानीय सेवायें जिनके संचालन में शर्त छूट रहेगी	पास निर्गमन हेतु अधिकृत अधिकारी/विभाग
1	मृत्यु प्रकरण में शव यात्रा के लिए	सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत/उप जिलाधिकारी
2	भारत सरकार तथा उनके अधिनस्थ कार्यालय	अपर जिलाधिकारी
3	राज्य सरकार के कार्यालय स्वायत्त/अधिनस्थ कार्यालय	
4	पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि और आपातकालीन सेवायें, आपदा प्रबन्धन, जेल और नगर निगम/नगर पालिका	सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष
5	व्यक्तियों के आवागमन हेतु- आपातकालीन सेवाओं हेतु उपयोग में लाये जा रहे निजी वाहन जिसमें चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा सम्मिलित है कि स्थिति में चार पहिया, निजी वाहन में चालक के साथ पिछली सीट पर एक व्यक्ति की अनुमति अनुमन्य है। दो-पहिया वाहन हेतु केवल चालक को ही अनुमति होगी।	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी
6	1- भारतीय रिजर्व बैंक व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित वित्तीय बाजार व अन्य संस्थायें जैसे- एन0पी0सी0एल0, सी0सी0आई0एल0 लेन-देन। 2- बैंकों की शाखाओं व ए0टी0एम0 बैंकिंग तथा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रदाता फर्मों ए0टी0एम0 का संचालन व केश प्रबन्धन से जुड़ी संस्थायें। 3- समस्त बैंकिंग शाखायें सामान्य सेवा अवधि के अन्तर्गत कार्य करेगी। 4- नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान (हाउसिंग एवं माईकों फाईनेन्स कम्पनी सहित)	लीड बैंक अधिकारी की आख्या पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा। कार्मिकों हेतु बैंक की आई0डी0 मान्य होगी तथा वाहनो हेतु बैंक मैनेजर द्वारा जारी पास मान्य होंगे।
7	सभी प्रकार के पौधा रोपण एवं वृक्षारोपण संचालन, लघु वाणिकी उत्पादों के संग्रहण एवं प्रसंस्करण कार्यो हेतु।	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी
8	वन कार्यालय नरसरी, वन्य जीव, वनाग्नि, वृक्षा रोपण, संचरण (patrolling) तथा आवश्यक यातायात वन के पास।	सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष
9	मनरेगा कार्य निम्नलिखित गतिविधियाँ क्रियाशील रहेंगी- 1- सामाजिक दूरी व फेस मास्क पहननकर कड़ाई से अनुपालन करते हुये मनरेगा के कार्यो को अनुमति। 2-जल संरक्षण एवं सिंचाई के कार्यो को मनरेगा के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर अनुमति। 3-केन्द्र एवं राज्य सरकार की जल संरक्षण एवं सिंचाई के क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो को भी मनरेगा के अन्तर्गत अनुमति। 4- विकास खण्ड पर श्रमिकों को पास खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे, जिसका परीक्षण जिला विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।	जिला विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी

क्रमशः 2



कार्यालय- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 453 / पी.ए.-अनुमति/2020/अवजो

दिनांक 20 अप्रैल, 2020

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालाध्यक्ष,
जनपद उत्तरकाशी।
2. समस्त तैनात कोविड मजिस्ट्रेट,
जनपद उत्तरकाशी।
3. उप जिलाधिकारी,
भटवाडी/डुण्डा/बडकोट/पुरोला।


विषय:- कोविड-19 संक्रमण के बचाव हेतु सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान एवं धूम्रपान रहित तम्बाकू के थूकने पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक भारत सरकार एवं निदेशक, उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या-37 दिनांक 15.04.2020 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि कोविड-19 एक संक्रमण बीमारी है जो छीकने, खांसने, बालेने या थूकने की प्रक्रिय में मुख या नाक से निकलने वाले ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा विधि विरुद्ध अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा जससे जीवन के लिये संकटपूर्ण रोक का संक्रमण फैलना संभाव्य हो, उस व्यक्ति को छः माह की अवधि तक कारावास में दंडित किया जा सकता है।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा)2003 की धारा-4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबन्धित है। प्रतिबन्धित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप रू0 200/- तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। उत्तराखण्ड कूड़ा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 की धारा 3 (ज) को परिभाषित करत हुये धारा-4 (झ)को थूकने को अपराधिक कृत्य माना गया है व धारा 9 के अनुसार दोषसिद्ध होने पर अधिकतम रू0 5000/- अर्थदण्ड या 06 मास के कारावास या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

अतः जन-स्वास्थ्य की रक्षा के दृष्टिगत जनपद के सभी सरकारी/गैर-सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं परिसर तथा सभी थाना एवं परिसर, सार्वजनिक स्थल विधि के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ तथा सिगरेट, बीडी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित करना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करते हैं तो सम्बन्धित के विरुद्ध उपरोक्त संगत धाराओं एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के तहत न्यायिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


(डॉ० आशीष चौहान)

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

उपरोक्त के दृष्टिगत मा0 विधायक, गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र द्वारा पुनः डुण्डा विकास खण्ड क्षेत्र की जनता एवं चारधाम यात्रा पर पधारने वाले यात्रियों/पर्यटकों को समुचित स्वास्थ्य सुविधायें मुहैया कराये जाने एवं वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना वायरस (COVID-19) को अन्तराष्ट्रीय महामारी घोषित कर दिये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा उक्त महामारी के फैलने से रोकने एवं वचाव के दृष्टिगत डुण्डा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उच्चीकृत किये जाने हेतु लिखा गया है।

अतः सादर अनुरोध है कि क्षेत्रीय जन स्वास्थ्य सुविधाओं एवं चारधाम यात्रा में पधारने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य सुविधा के दृष्टिगत उपरोक्तानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डुण्डा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उच्चीकृत किये जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,



(डा0 आशीष चौहान)

जिलाधिकारी,

उत्तरकाशी।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

सेवामें,

सचिव,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,

उत्तराखण्ड शासन,

देहरादून।

संख्या: 209 /एस0पी0ए0-2020

दिनांक अप्रैल 17, 2020

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा मुख्यालय में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र संख्या 584/XXVII-572019-03/2019 दिनांक 31.07.2019 के द्वारा श्री गोपाल सिंह रावत, मा0 विधाक गंगोत्री विधान क्षेत्र उ0का0 का मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 23.07.2019 जिसमें जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड मुख्यालय डुण्डा में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उच्चिकृत किये जाने का अनुरोध किया गया, के सम्बन्ध में आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी से प्रस्ताव/आख्या प्राप्त की गई, जिसमें उनके द्वारा विकास खण्ड मुख्यालय डुण्डा के ग्रामों की जनसंख्या, IPHD मानक एवं जनसंख्या व दूरी प्रमाण पत्र के साथ आख्या प्रस्तुत की गई है, जो इस कार्यालय के पत्र संख्या-90 /एस0पी0ए0-2020 दिनांक 20 फरवरी, 2020 के द्वारा शासन को प्रेषित की गयी है। जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत डुण्डा कस्बा विकास खण्ड मुख्यालय के साथ-साथ ग्रामीण नगर के रूप में विकसित है तथा गंगोत्री चारधाम यात्रा मार्ग का भी मुख्य पड़ाव है। डुण्डा में पूर्व से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के 20 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। इस विकास खण्ड के अन्तर्गत 140 ग्राम सभाये हैं तथा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विकास खण्ड में स्थित ग्रामों की जनसंख्या 59,843 है। डुण्डा विकास खण्ड मुख्यालय/कस्बा चारधाम यात्रा की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण पड़ाव है जहाँ पर यात्रा सीजन में लाखों की संख्या में गंगोत्री धाम में पधारने वाले यात्रियों/पर्यटकों का आवागमन/प्रवास करते हैं। यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण स्थानीय लोगों एवं यात्रियों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया नहीं हो पाती हैं। डुण्डा से जिला चिकित्सालय 20 किमी0 दूरी पर है तथा विपम भौगोलिक परिस्थियों व मानसून अविधि में राष्ट्रीय राजमार्ग की भूस्खलन आदि से बाधित रहने की स्थिति में स्थानीय लोगों/यात्रियों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधायें तत्काल उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।

13. निर्माण कार्य में निर्माण सामग्री लेकर बाहरी क्षेत्र से आये कार्मिक/मजदूर/वाहन चालक/परिचालक/ठेकेदार आदि के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे किसी भी प्रकार से उनको स्थानीय लोगों से न मिलने दिया जाय, इस सम्बन्ध में मालवाहक वाहन आदि से सामान आदि ढुलान हेतु अलग से मजदूर की टीम तैयार कर सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम सम्बन्धी अनिवार्य प्रशिक्षण के पश्चात् तैनात किया जायेगा।
14. बाहरी क्षेत्र से आये व्यक्तियों के लिये अलग से रहने खाने आदि की व्यवस्था हेतु स्थल चिन्हित कर रहने/खाने की व्यवस्था कार्यदायी संस्था द्वारा की जायेगी तथा उक्त चिन्हित स्थल के स्टॉफ हेतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम सम्बन्धी प्रशिक्षण देते हुये तैनाती की जायेगी। ऐसे प्रशिक्षित स्टॉफ की सूची एवं चिन्हित स्थल प्रशासन के साथ अनिवार्यतः साझा किये जायेंगे।
15. समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम सम्बन्धी प्रशिक्षण हेतु अपने नियंत्रिणाधीन कार्मिक नामित करते हुये सूची जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को यथा शीघ्र दूरभाष संख्या-013742-22126, 222722 पर ईमेल-ddmattarkashi@gmail.com पर प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध करायेंगे।


समस्त कार्यदायी संस्थाओं को कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के सम्बन्ध में उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने हेतु निर्देशित किया जाता है। उक्त निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता/लापरवाही/लिपिकीय त्रुटि क्षम्य नहीं होगी तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51, 52, 54, 55 58, 60 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

संलग्न-यथोपरि- 1-भारत सरकार के उपरोक्त आदेश की प्रति।
2-दैनिक सूचना प्रारूप।


(डॉ० आशीष चौहान),
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव- मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. सचिव महोदय, मा० श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव महोदय, गृह, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5. आयुक्त महोदय, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
6. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
7. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
8. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
9. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
10. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
11. वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, उरेडा, उत्तरकाशी।
12. समस्त तहसीलदार, जनपद उत्तरकाशी।
13. समस्त संबंधित जल विधुत परियोजनाएं जनपद उत्तरकाशी।


जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

6. समस्त कार्यदायी संस्था अपने प्रत्येक निर्माण स्थल पर अनिवार्यतः हाथ धोने हेतु पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी, गम्छा, ग्लब्स, साबुन, सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक व्यक्ति को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एक किट उपलब्ध करायेंगे, जिसमें निम्न सामग्री उपलब्ध होगी-

गम्छा	-	02
साबुन	-	02 बट्टी
ग्लब्स	-	04 जोड़ी
सेनेटाइजर	-	01

7. प्रत्येक कार्यदायी संस्था अपने विभिन्न निर्माण स्थलों में कार्यरत WorkForce यथा कार्मिक/मजदूर/वाहन चालक/परिचालक/ठेकेदार आदि को कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम सम्बन्धी प्रशिक्षण यथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, हाथ धोने का तरीका, मास्क पहनने का तरीका, साफ-साफाई आदि का प्रशिक्षण एवं Dos - Donts सम्बन्धी आवश्यक निर्देश देंगे।

8. प्रत्येक कार्यदायी संस्था अपने विभिन्न निर्माण स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति को यथा सम्भव अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना सुनिश्चित करायेंगे।

9. प्रत्येक कार्यदायी संस्था अपने विभिन्न निर्माण स्थलों हेतु जनपद अन्तर्गत आने तथा जाने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहन तथा कार्मिक/मजदूर/वाहन चालक/परिचालक/ठेकेदार आदि की सूची तैयार कर कन्ट्रोल रूम को दैनिक रूप से संलग्न प्रारूप पर प्रेषित करेंगे।

10. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था नगर पालिका/बॉर्डर चैक पोस्ट से समन्वय स्थापित कर अपने विभिन्न निर्माण स्थलों हेतु जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत बाहरी जनपद/राज्य से प्रवेश करने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहन तथा कार्मिक/मजदूर/वाहन चालक/परिचालक/ठेकेदार आदि का पूर्ण सेनेटाइजेशन/फौगिंग जनपद सीमा पर भी करवाना

सुनिश्चित करेंगे तथा जनपद की सीमा पर अपनी-अपनी टीम तैनात कर अपने निर्माण स्थल सम्बन्धी प्रत्येक वाहन हेतु सेनेटाइजर/मास्क/ग्लब्स आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा दैनिक आख्या कन्ट्रोल रूम को देंगे।

11. उपरोक्त कार्य के दौरान, शिफ्ट चेंज करते समय एवं दोपहर के खाने के समय सोशल डिस्टेंसिंग (02 मीटर की दूरी) का कड़ाई से अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा इस हेतु प्रत्येक निर्माण स्थल में कम से कम एक कर्मी को अनुश्रवण हेतु सोशल डिस्टेंसिंग मार्शल के रूम में तैनात करते हुये आख्या कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेंगे।

12. निर्माण कार्य हेतु बाहरी क्षेत्रों से आने वाले कार्मिक/मजदूर/वाहन चालक/परिचालक/ठेकेदार आदि तथा निर्माण स्थलों पर कार्य कर रहे मजदूरों आदि की प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से करते हुये नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस SARI/ILI सम्बन्धी लक्षण यथा सूखी खांसी, बुखार एवं जुखाम आदि परिलक्षित करने पर सूचना तत्काल जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र एवं वाररूम के निम्न दूरभाष पर (01374-222640/222126) पर अनिवार्यतः देना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमशः.....4



- A) चारधाम सड़क परियोजना, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के समस्त कार्य।
- B) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों प्राधिकरण के अन्तर्गत प्रदेश में निर्माणधीन के समस्त कार्य।
- C) केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य।
- D) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निर्माणधीन सेतु के कार्य।
- E) नाबार्ड पोषित समस्त कार्य।
- F) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत समस्त ऐसे कार्य जिनकी भौतिक प्रगति 75 प्रतिशत या उससे अधिक है।

सड़क एवं सेतु निर्माण से संबंधित केन्द्र सरकार की कार्यदायी संस्थाओं हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के साथ परामर्श के उपरान्त संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कियान्वित कराये जाने वाले संबंधित निर्माण कार्यों को पुनः प्रारम्भ करने हकतु मानक संचालन प्रक्रिया(SOP) पृथक से जारी की जा रही है।

2. प्रत्येक कार्यदायी संस्था अपने विभिन्न निर्माण स्थलों के सम्पूर्ण क्षेत्रान्तर्गत (प्रवेश/निकास द्वारा, कैंटीन, सभागार, बंकर, पोर्टा केबिन, बरामदे, खुले स्थल, उपकरण, मशीनरी, वाहन, शौचालय/बाथरूम/वाशबेसन, वाटर प्वाइंट, दीवार, दरवाजे, खिड़की, कुण्डी, चिटकनी, हेण्डल आदि) हेतु दिन में 03 बार सेनेटाईजेशन डिसइन्फेक्शन/फौगिंग करना अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगे।

इस हेतु प्रत्येक कार्यदायी संस्था पर्याप्त मात्रा में अपने विभिन्न निर्माण स्थलों हेतु स्प्रे मशीन, फौगिंग मशीन, सोडियम हाईपोलक्लोराईट आदि की व्यवस्था रखेंगे एवं उक्त हेतु कार्मिकों को चिन्हित कर कार्य प्रारम्भ से पूर्व उक्त कार्मिक को प्रशिक्षित करते हुये आख्या कन्ट्रोल रूम को प्रस्तुत करेंगे।

3. प्रत्येक कार्यदायी संस्था अपने विभिन्न निर्माण स्थलों के सम्पूर्ण क्षेत्रान्तर्गत प्रवेश/निकास द्वारा पर थर्मल स्कैनिंग करना अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगे।

2. प्रत्येक कार्यदायी संस्था अपने विभिन्न निर्माण स्थलों के कार्मिक/मजदूर/वाहन चालक/परिचालक/ ठेकेदार आदि हेतु रहने/खाने की व्यवस्था यथा सम्भव निर्माण स्थल पर ही करेगी यदि WorkForce के रहने/खाने की व्यवस्था निर्माण स्थल के निकट नहीं हो तो किसी भी दशा में सार्वजनिक यातायात सेवा का उपयोग नहीं किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा WorkForce की आवाजाही हेतु स्वयं यातायात की व्यवस्था की जायेगी तथा उक्त वाहन में मात्र 30 प्रतिशत बैठने की व्यवस्था का उपयोग किया जायेगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जायेगा।

4. प्रत्येक कार्यदायी संस्था अपने विभिन्न निर्माण स्थलों पर सुनिश्चित करेंगी कि गुटखा, खैनी, तम्बाकू, मदिरापान एवं थूकना पूर्ण रूप से निषेध होगा।

5. प्रत्येक कार्यदायी संस्था अपने विभिन्न निर्माण स्थल पर गैर जरूरी आगन्तुकों एवं 50 वर्ष से अधिक उम्र के कार्मिक/मजदूर/वाहन चालक/परिचालक/ठेकेदार आदि तथा मजदूरों एवं कार्मिकों के छोटे बच्चों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित करना सुनिश्चित करेगी।

क्रमशः.....3

कार्यालय-जिलाधिकारी, उत्तरकाशी। 20

संख्या:- 220

तेरह-आ0प्र0प्राधि0/(covid-19)/2020

दिनांक अप्रैल, 2020

1. कमान अधिकारी,
1442 बी0सी0सी, सीमा सड़क संगठन, उत्तरकाशी।
2. कमान अधिकारी,
72 आर0सी0सी0, सीमा सड़क संगठन, उत्तरकाशी।
3. अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट।
4. प्रबन्धक,
एन0एच0आई0डी0सी0एल0,
बडेथी, उत्तरकाशी।
5. अधिशासी अभियन्ता (समस्त),
पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तरकाशी।
6. अधीक्षण अभियन्ता,
छटवाँ वृत्त लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
7. अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
8. अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी/पुरोला।
9. अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई, उत्तरकाशी।

विषय:- दिनांक 20.04.2020 के पश्चात् निर्माण कार्य हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक गृह मंत्रालय भारत सरकार के संलग्न आदेश संख्या-40-3/2020-डीएम-/(1) दिनांक 15.04.2020 के द्वारा सम्पूर्ण भारतवर्ष में दिनांक 03.05.2020 तक लाक डाउन प्रभावी रहने हेतु निर्देशित किया गया है। आमजनमानस को हो रही कठिनाई के न्यूनीकरण हेतु दिनांक 20.04.2020 से शिथिलता प्रदान किये जाने के निर्देश है।

अतः उक्त के अन्तर्गत जनपद में संडक, सिंचाई, MSME, जल विधुत परियोजनाएं एवं सौर ऊर्जा परियोजना कार्य पुनः प्रारम्भ करने हेतु कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम सम्बन्धी समस्त प्राविधानों का पालन करते हुये शिथिलता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्तानुसार कार्यदायी संस्थायें निर्माण कार्य के दौरान कोविड-19 के दिशा-निर्देश का निम्नानुसार अनुपालन करेंगे तथा निम्नलिखित निर्देशों के अनुरूप अपनी तैयारियां सुनिश्चित करते हुये आख्या दिनांक 21.04.2020 से पूर्व अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे।

1. प्रत्येक कार्यदायी संस्था अपने विभिन्न निर्माण स्थलों के सम्पूर्ण क्षेत्रान्तर्गत कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व स्थानीय प्रशासन को अवगत करायेगी कि कहां-कहां कार्य गतिमान है तथा उक्त स्थलों पर कितनी WorkForce (विस्तृत आख्या यथा नाम/मोबाईल/आधार/मूल जनपद आदि) कार्यरत है।

इसके अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव महोदय, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-367/III (3)/2020-01(एन0एच0)/2020 द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 15-04-2020 के क्रम में पूर्णतया अधीन उत्तराखण्ड राज्य में लोक निर्माण विभाग के सड़क मार्गों एवं सेतुओं के निर्माण से संबंधित केवल निम्न परियोजनाओं पर ही कार्य प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है:-

क्रमशः.....2

3. आश0सी0यू0 कक्ष हेतु 01 वेन्टिलेटर तथा अन्य आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण प्रमुख चिकित्साधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अविलम्ब महा निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून से प्राप्त किये जायेंगे।

चिकित्सकीय उपकरण जो महानिदेशक से प्राप्त न हो वह जिला स्तर पर क्रय किये जायेंगे। क्रय किये जाने वाले उपकरणों के सम्बन्ध में मांग प्रमुख चिकित्साधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारीद्वारा मय विशिष्टियों के अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

कार्यवाही- प्रमुख चिकित्साधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।

4. बैठक में डॉ0 पोखरियाल एवं डॉ0 कुडियाल द्वारा अवगत कराया गया है कि ओ0पी0डी0 में मरीजों की भीड़ एकत्रित हो रही है। जिस कारण कोविड-19 के संक्रमण के प्रोटोकॉल अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का परिपालन करने हेतु जिला चिकित्सालय में पुलिस कार्मियों/पीआर0डी एंव होमगार्ड की तैनाती की जानी आवश्यक है। उक्त के क्रम में निर्देश दिये है कि मुख्य चिकित्साधिकारी पुलिस बल की मांग उपलब्ध कराये ताकि मांग के अनुसार पुलिस कार्मियों/पीआर0डी एंव होमगार्ड हेतु पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी अथवा जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा पुलिस बल उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त OPD एवं जिस स्थान पर उपचार हेतु पंजीकरण कराया जाता है उक्त स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग हेतु Marking की जाए।

कार्यवाही- प्रमुख चिकित्साधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।

5. ओ0पी0डी0 प्रारम्भ होने के पश्चात् जिला चिकित्सालय में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मरीजों को भर्ती करने हेतु कोविड-19 हॉस्पिटल के रिक्त वार्ड को उपयोग करने की अनुमति चिकित्सकों द्वारा की गयी। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि किसी भी दशा में कोविड-19 हॉस्पिटल के वार्डों एवं बेड का प्रयोग अन्य मरीजों के उपयोग हेतु न किया जाय। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय। कोविड-19 हॉस्पिटल में कोविड मरीज के अलावा अन्य किसी रोग के मरीज को भर्ती न किया जाय।

कार्यवाही- प्रमुख चिकित्साधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।


(डॉ0 आशीष चौहान)


अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या- 471/आ0प्र0प्रा0 (CoVID-19)/2020

दिनांक 22 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि:- उपरोक्त सम्बन्धित के अनुपालनार्थ प्रेषित हेतु प्रेषित।


अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/

दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन संख्या-51/2020 में पारित निर्णय आदेश दिनांक 21.04.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक उपस्थिति-

1	मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
2	प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।
3	आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
4	प्रमुख चिकित्साधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
5	डॉ0 सुवेग सिंह, चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
6	डॉ0 सुजाता, चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
7	डॉ0 आर0एस0, पोखरियाल, चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
8	डॉ0 बी0एस0 रावत, चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
9	डॉ0 कुडियाल, चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
10	अधिसासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।

मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल ने योजित रिट पिटीशन (पीआईएल) संख्या-51/2020, राजेन्द्र आर्य बनाम प्रमुख सचिव एवं सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड में दिनांक 21.04.2020 को मा. न्यायालय द्वारा निर्णय किया है कि-" We Are Conscious Of the Fact that There is Definitely a Shortage of ventilators as of now, yet when these Hospitals had been Declared as dedicated covid-19 Hospitals and one of the principal requirements of the dedicated covid-19 Hospitals is that, inter alia, it must have ventilator facility we therefore, direct the State government to at least install one, possibly two, ventilators in these Hospitals, within a period of one week from today. "

मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में आज आहूत बैठक में निम्नवत् निर्देश निर्गत किये गये हैं-

1. जिला चिकित्सालय में मा0 न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर एक अतिरिक्त वेन्टिलेटर लगाया जायेगा। गेल इण्डिया लि0 द्वारा सी0एस0आर0 मद से एक बड़ा वेन्टिलेटर कोविड-19 हॉस्पिटल हेतु दिये जाने की सहमति दी गयी है। वेन्टिलेटर हेतु गेल इण्डिया लि0 को पत्र प्रेषित किया जाया। यदि गेल इण्डिया लि0 द्वारा वेन्टिलेटर उपलब्ध न कराया जाय उस दशा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडकोट में पूर्व से स्थापित वेन्टिलेटर को 04 दिन अन्दर जिला चिकित्सालय में स्थापित किया जायेगा।

कार्यवाही- मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रमुख चिकित्साधीक्षक, जिला चिकित्सालय/
चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडकोट।


2. आई0सी0यू0 कक्ष में वेन्टिलेटर स्थापित किया जाना है। आई0सी0यू0 कक्ष के नवीनीकरण सम्बन्धी कार्य अधि0अभि0 ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी द्वारा 07 दिनों के अन्दर पूर्ण किया जायेगा। इस हेतु अधिसासी अभियन्ता युद्ध स्तर पर मरम्मत एवं नवीनीकरण सम्बन्धी कार्य दिन-रात की पाली में करवाना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- प्रमुख चिकित्साधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी/
अधि0अभि0 ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।

क्रमशः.....2

6	खण्ड 19 (5) में वन कार्यालय के अन्तर्गत वन संवर्द्धन कार्यों सहित वानिकी रोपण एवं सम्बद्ध गतिविधियों भी शामिल होंगी।	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी।
7	बीमारी/आकस्मिकता (Medical Emergency)	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/नोडल अधिकारी/चिकित्सक का मान्य पर्चा भी पास के रूप में अनुमन्य होगा।
8	आई.आर.डी.आई. एवं इंशोरेंस कम्पनी (एजेन्ट शामिल नहीं होंगे)	लीड बैंक अधिकारी
9	पेट्रोल पम्प जिन्हें पूर्व में 01 नोजल संचालित करने की अनुमति थी अब पूर्ण रूप से संचालित करने की अनुमति होगी।	

उपरोक्त आदेश का अनुपालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।


(डॉ० आशीष चौहान)

अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

कार्यालय-जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या 222/तेरह-आ०प०प्राधि०/कोरोना/2020

दिनांक- 22 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत-

- 1- पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
- 2 मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 3- समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
- 4- समस्त थानाध्यक्ष, जनपद उत्तरकाशी।
- 5- जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।



(डॉ० आशीष चौहान)

अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

:: आदेश ::

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020/DM-I (A) दिनांक 21.04.2020 के अन्तर्गत पूर्व में पारित आदेश दिनांकित 15.04.2020, 16.04.2020 तथा 19.04.2020 के क्रम में कुछ अतिरिक्त निर्देश समाविष्ट किये गये हैं। अतः द्वितीय लॉकडाउन अवधि में कतिपय सेवाओं के दिनांक 20.04.2020 से संचालन हेतु निर्गत सशर्त अनुमति सम्बन्धी इस कार्यालय के पूर्व आदेश संख्या 214/13-आ0प्र0प्राधि0/CoVID-19/2020 दिनांक 19 अप्रैल, 2020 में निम्नांकित निर्देश भी शामिल रहेंगे, तथा अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगी, कि इस दौरान कार्यालयों, कार्यशालाओं, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम के लिए भारत सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया एवं लॉक-डाउन उपायों के रूप में सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

क्र.सं	स्थानीय सेवायें जिनके संचालन में सशर्त छूट रहेगी	पास निर्गमन हेतु अधिकृत अधिकारी/विभाग
1	खण्ड 6 (अ) के अन्तर्गत उपखण्ड IX, X, XI से सभी कृषि एवं बागवानी गतिविधियों में निम्नलिखित छूट भी शामिल है। 1- बीज एवं बागवानी उत्पादों के लिए निरीक्षण एवं उपचार सुविधा, पैक गृहों के लिए निर्यात/आयात सुविधा। 2- कृषि एवं बागवानी गतिविधियों से सम्बन्धित अनुसंधान प्रतिष्ठान। 3- अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर रोपण सामग्री, मधुमक्खी कॉलोनी, शहद एवं माँन पालन उत्पादों का आवागमन।	मुख्य कृषि अधिकारी/ मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी।
2	खण्ड 8 (1) के अन्तर्गत सामाजिक क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों की देख-भाल करने वाले सेवक जो उनके घरों में रहते हैं को छूट रहेगी।	सम्बन्धित थानाध्यक्ष
3	खण्ड 13 (5) के अन्तर्गत सामाजिक उपयोगिता में प्रीपेड मोबाईल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधा भी शामिल है (पूर्वाह्न 07 बजे से 01 बजे तक)	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी
4	खण्ड 13 (1) के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में नगरीय क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाई जैसे-ब्रेड फैक्ट्री, दुग्ध प्रसंस्करण कारखाना, आटा चक्की इत्यादि भी शामिल है।	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी
5	खण्ड 14 के अन्तर्गत उपखण्ड XI, XII से सम्बन्धित वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान में निम्नलिखित भी शामिल होंगे। 1- विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक पुस्तकों की दुकानें (पूर्वाह्न 07 बजे से 01 बजे तक)	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी

:: आदेश ::

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोरोना वायरस संक्रमण को अर्न्दाष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है। भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कोरोना वायरस को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत सम्पूर्ण देश में 25 मार्च, 2020 से 03 मई, 2020 तक लॉक डाउन किया गया है।


कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जनपद में बाहरी राज्यों एवं जिलों से आने वाले व्यक्तियों को होम क्वारन्टाईन किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। होम क्वारन्टाईन किये गये व्यक्तियों के द्वारा क्वारन्टाईन प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु तथा क्वारन्टाईन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने हेतु अधाहोस्ताक्षरी द्वारा आदेश संख्या- 347/ आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 06.04.2020 के द्वारा जोनवार कोविड मजिस्ट्रेट नामित करते हुये एक निगरानी टीम का गठन किया गया है। उक्त टीम में गिरीश सिंह राणा, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी को कोविड मजिस्ट्रेट, एवं श्री राजेश जोशी, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य विभाग तथा नागेन्द्र चौहान, प्रान्तीय रक्षक दल को इस टीम में सदस्य नामित किया गया है।

प्रभारी वार रूम जनपद उत्तरकाशी द्वारा अपने पत्र संख्या-आई0डी0एस0पी0/CoVID-19/2019-20/26 दिनांक 09.04.2020 द्वारा अवगत कराया है कि कोविड मजिस्ट्रेट गिरीश सिंह राणा (सहायक अभियन्ता) द्वारा वाररूम को गृह संगरोधन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की सूची उपलब्ध करायी गयी है।

उप जिलाधिकारी, डुण्डा के पत्र संख्या-250/वै0सहा0/2020 दिनांक 22.04.2020 के द्वारा अवगत कराया कि कोविड मजिस्ट्रेट के उक्त आख्या के आधार पर राजस्व उप निरीक्षक, बलडोगी तहसील चिन्यालीसौड द्वारा कोविड मजिस्ट्रेट की सूची के आधार पर गृह संगरोधन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा पाया कि कोविड मजिस्ट्रेट द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में उल्लेखित प्रियांशी की उम्र लगभग 2 वर्ष एवं प्रियांश की उम्र लगभग 06 माह है। कोविड मजिस्ट्रेट गिरीश सिंह राणा द्वारा स्वीकार किया गया कि उनके तथा उनकी टीम द्वारा ग्राम खालसी के माड नामे तोक की गृह संगरोधन का उल्लंघन करने वालों की स्वयं स्थलीय जांच-पड़ताल नहीं की गयी तथा बिना पूर्ण सत्यापन के सूची वाररूम उत्तरकाशी को प्रेषित की गयी है।

उप जिलाधिकारी डुण्डा तथा प्रभारी वाररूम, उत्तरकाशी एवं विवेचक अधिकारी की आख्यानुसार प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि कोविड मजिस्ट्रेट एवं इनके टीम के सदस्यों द्वारा गृह संगरोधन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में पूर्ण जांच एवं सत्यापन की कार्यवाही नहीं की गयी। कोविड मजिस्ट्रेट, गिरीश सिंह राणा, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी, श्री राजेश जोशी, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य विभाग तथा नागेन्द्र चौहान, प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा कोविड-19 सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य में अपने पदीय दायित्वों का सत्यनिष्ठ से सम्पादन नहीं किया गया तथा उच्चाधिकारियों को भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण सूचना प्रेषित की गयी जो कि अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है। इनके द्वारा किये गये कृत्य से कोविड-19 संक्रमण के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही प्रभावित हुयी है।

अतः उक्त सम्पूर्ण प्रकरण की जांच हेतु उप जिलाधिकारी, डुण्डा को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। जांच अधिकारी एक सप्ताह अन्दर जांच पूर्ण करते हुये दोषी अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में विधिअनुरूप आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



(डॉ० आशीष चौहान)

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय-आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या-493/आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020
प्रतिलिपि:-

दिनांक 24 अप्रैल, 2020
उप जिलाधिकारी, डुण्डा को उपरोक्तानुसार जांच की कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

:: आदेश ::

उपर्युक्त विषयक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-डीएम-/(A) दिनांक 15.04.2020 के द्वारा सम्पूर्ण भारतवर्ष में दिनांक 03.05.2020 तक लाक-डाउन प्रभावी रहने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के दौरान आम जनमानस को हो रही कठिनाई के न्यूनीकरण हेतु दिनांक 20.04.2020 से गृह मंत्रालय द्वारा शिथिलता प्रदान किये जाने के भी निर्देश दिये गये है। उक्त आदेश के बिन्दु संख्या-6(iv), 10, 13(i), 14, 15 एवं 16 के अनुसार मनरेगा, सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजना, औद्योगिक परियोजना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, मोटर मैकेनिक, विद्युत मैकेनिक, प्लम्बर, बढई आदि सेवाओं के संचालन की सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत जनपद अन्तर्गत उपरोक्त कार्यों के सम्पादन हेतु प्रयुक्त होने वाली निर्माण तथा अन्य सामग्री यथा सिमेन्ट, सरिया, ईट, पत्थर, टाईल्स, पेपर ब्लॉक, हार्डवेयर आदि सेवाये प्रदान करने वाले प्रदाता फर्मों को उपरोक्त बिन्दुओं में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशानुसार लॉक-डाउन अवधि तक निर्धारित समय प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करते हुये, कोविड-19 महामारी के संक्रमण के रोकथाम के उपयो जैसे मास्क, सेनेटाईजर आदि का उपयोग करते हुये तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ आवेदन पर संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है-

- 1- सिमेन्ट/सरिया एवं हार्डवेयर की दुकान।
2. इलेक्ट्रीशियन/मोटर मैकेनिक/प्लम्बर/बढई/रंगाई पुताई
- 3- पंखे की दुकान (इलेक्ट्रिक फैन दुकान)

उपरोक्त अनुमति के दौरान निजी दो पहिया वाहन का प्रयोग भारत सरकार के उपरोक्त वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा। उपरोक्तानुसार प्रदत्त अनुमति का दुरुपयोग एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन न किया जाना आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 वह महामारी अधिनियम 1897 सपटित उत्तराखण्ड कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

कार्यालय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

दिनांक 24 अप्रैल, 2020

पत्र संख्या- 499 / आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020
प्रतिलिपि:- निम्नाति की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
- 3- सचिव, स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 6- पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
- 7- मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 8- उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/बडकोट/पुरोला।
- 9- मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
- 9- उपरोक्त सम्बन्धित नोडल अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
- 10- जिला सूचना अधिकारी को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।


अध्यक्ष,


जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

क्र.स.	दिनांक	प्रशिक्षार्थी	बैच अवधि	प्रशिक्षण उद्देश्य
6	02.05. 2020	टैक्सी वाहन चालक	प्रातः 10:00 बजे से 11:30 बजे तक	संकमित व्यक्तियों का संचलन/वाहन सनटाईजेशन/शासकीय कार्य
		शिक्षक माध्यमिक स्तर	प्रातः 11:30 बजे से अप. 1:00 बजे तक	संकमण नियन्त्रण हेतु जागरूकता/प्रचार-प्रसार

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण के प्रति जागरूकता प्रशिक्षण निम्नानुसार मास्टर ट्रेनर समूह द्वारा प्रदान किया जायेगा।

क्र.स.	प्रशिक्षण स्थल	मास्टर ट्रेनर समूह
1	विकासखण्ड कार्यालय भटवाडी।	1- प्रभारी चिकित्साधिकारी (सामु.स्वा. केन्द्र/प्राथ.स्वा. केन्द्र भटवाडी) 2- खण्ड विकास अधिकारी भटवाडी 3- उप शिक्षा अधिकारी, भटवाडी।
2	विकासखण्ड कार्यालय डुण्डा।	1- प्रभारी चिकित्साधिकारी (सामु.स्वा. केन्द्र/प्राथ.स्वा. केन्द्र डुण्डा) 2- खण्ड शिक्षा अधिकारी डुण्डा। 3- उप शिक्षा अधिकारी, डुण्डा।
3	विकासखण्ड कार्यालय चिन्यालीसौड	1- प्रभारी चिकित्साधिकारी (सामु.स्वा. केन्द्र/प्राथ.स्वा. केन्द्र चिन्यालीसौड) 2-खण्ड विकास अधिकारी चि.सौड। 3- खण्ड शिक्षा अधिकारी, चि.सौड।
4	विकासखण्ड कार्यालय मोरी।	1- प्रभारी चिकित्साधिकारी (सामु.स्वा. केन्द्र/प्राथ.स्वा. केन्द्र मोरी) 2- खण्ड विकास अधिकारी मोरी। 3- उप शिक्षा अधिकारी, मोरी।
5	राजकीय इण्टर कॉलेज आराकोट।	1-प्रभारी चिकित्साधिकारी (सामु.स्वा. केन्द्र/प्राथ.स्वा. केन्द्र आराकोट। 2- प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कॉलेज आराकोट।

मास्टर ट्रेनर समूह द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण सम्पन्न कराते हुए प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति आपदा प्रबन्धन-प्राधिकरण कार्यालय-को-उपलब्ध करायी जायेगी।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।


कार्यालय:- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या- 507 / प्रशिक्षण

दिनांक 25 अप्रैल-2020।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कार्यक्रमानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों का प्रतिभाग कराया जाना सुनिश्चित करें।

- 1- अध्यक्ष, जिला पंचायत उत्तरकाशी।
- 2- पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
- 3- प्रभारी वनाधिकारी, उत्तरकाशी/अपर यमुना वन प्रभाग बडकोट/टौन्स वन प्रभाग पुरोला/ भूमि संरक्षण वन प्रभाग उत्तरकाशी/टिहरी डैम वन प्रभाग द्वितीय उत्तरकाशी।
- 4- उप निदेशक, गोविन्द पशु विहार पुरोला/गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी।
- 5- जिला शिक्षा अधिकारी मा0शि0/प्रा0शि0।
- 6- प्रबन्धक, गढवाल मण्डल विकास निगम उत्तरकाशी।
- 7- जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तरकाशी।
- 8- मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी।
- 9- युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल उत्तरकाशी।
- 10-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी उत्तरकाशी।
- 11-अध्यक्ष, होटल एसोसिएशन/अध्यक्ष व्यापार मण्डल/अध्यक्ष, टैक्सी एसोसिएशन/अध्यक्ष, वाहन चालक एसोसिएशन उत्तरकाशी।
- 12- एन0एस0एस0/एन0सी0सी0/स्काउट गॉइड अधिकारी उत्तरकाशी।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

:: आदेश ::


कोविड-19 को महामारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। प्रथम चरण में उत्तरकाशी मुख्यालय, डायट बड़कोट, विकाराखण्ड कार्यालय पुरोला/नौगांव में समाज के विभिन्न वर्गों (एन0 एस0एस0/एन0सी0सी0/स्काउट गाइड) टैक्सी/वाहन चालक/आशा आंगनवाडी / ए0एन0एम0/फारेस्टगार्ड/पी0आर0डी0/सुरक्षाकर्मी/दुकानदार/स्वयंसेवक/जनसामान्य/होटलकर्मियों / जी0एम0वी0एन0 स्टाफ/स्वच्छक/वार्ड बॉय व शिक्षकों, नेहरू युवा केन्द्र, निर्माण संस्था के कर्मियों, विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों तथा डिग्री कॉलेज के शिक्षकों/छात्रों) को दिनांक 03.04.2020से 24.04.2020 तक कोरोना संक्रमण नियन्त्रण के प्रति जागरूकता-प्रशिक्षण प्रदान कर आपात स्थिति में कोरोना वारियर के रूप में विभिन्न दायित्वों के निर्वहन हेतु जन शक्ति तैयार की गई है।

उपरोक्त प्रशिक्षण लॉकडाउन के कारण विकाराखण्ड भटवाडी, डुण्डा, चिन्वलीसौड़, मोरी में सम्पन्न नहीं हो पाया है। अतः भविष्य में कोरोना संक्रमण नियन्त्रण के प्रति जागरूकता के दृष्टिगत कार्यालय विकाराखण्ड भटवाडी, डुण्डा, चिन्वलीसौड़, मोरी तथा आराकोट (बंगाल क्षेत्र) में प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जायेगा। समाजिक दूरी बनाये रखते हुए प्रत्येक बैच में 30 प्रशिक्षणार्थियों को एम.टी. द्वारा प्रशिक्षण दिया जाये तथा एक बैच की प्रशिक्षण अवधि 90 मिनट की होगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र० सं०	दिनांक	प्रशिक्षार्थी	बैच अवधि	प्रशिक्षण उद्देश्य	प्रशिक्षण स्थल
1	27.04.2020	एन0सी0सी0/ एन0एस0एस0	प्रातः 10:00 बजे से 11:30 बजे तक	बहुउद्देशीय दल, प्रचार-प्रसार जागरूकता	1-विकासखण्ड कार्यालय भटवाडी। 2-विकासखण्ड कार्यालय डुण्डा। 3-विकासखण्ड कार्यालय चिन्वलीसौड़। 4-विकासखण्ड कार्यालय मोरी। 5-राजकीय इंटर कॉलेज आराकोट।
		स्काउट/ गाइड /रेन्जर्स रोबर्स	प्रातः 11:30 बजे से अप. 1:00 बजे तक	बहुउद्देशीयदल/प्रचार-प्रसार जागरूकता	
2	28.04.2020	स्वच्छक	प्रातः 10:00 बजे से 11:30 बजे तक	आइसोलेशन/क्वारनटाइन प्रोटोकॉल	
		फारेस्टगार्ड/ पी0आर0डी0	प्रातः 11:30 बजे से अप. 1:00 बजे तक	संकमित व्यक्तियों की पहचान,जनसुरक्षा, आइसोलेशन /क्वारनटाइन प्रोटोकॉल	
3	29.042020	आशा/आंगनवाडी / ए0एन0एम0	प्रातः 10:00 बजे से 11:30 बजे तक	प्रचार-प्रसार एवं पैरामेडिकल स्टाफ/क्वारनटाइन प्रोटोकॉल	
		शिक्षक प्राथमिक स्तर	प्रातः 11:30 बजे से अप. 1:00 बजे तक	संकमण नियन्त्रण हेतु जागरूकता/प्रचार-प्रसार	
4	30.042020	दुकानदार/स्वयंसेवक	प्रातः 10:00 बजे से 11:30 बजे तक	प्रचार-प्रसार जागरूकता, सोशल डिस्टेंसिंग	
		सुरक्षाकर्मी	प्रातः 11:30 बजे से अप. 1:00 बजे तक	संकमित व्यक्तियों की पहचान,जनसुरक्षा, आइसोलेशन /क्वारनटाइन प्रोटोकॉल	
5	01.05.2020	होटलस्वामी/ जी0एम0वी0एन0 स्टाफ	प्रातः 10:00 बजे से 11:30 बजे तक	क्वारनटाइन प्रोटोकॉल/सोशल डिस्टेंसिंग	
		पब्लिक स्कूल प्रबन्धक/ प्रधानाध्यापक	प्रातः 11:30 बजे से अप. 1:00 बजे तक	संकमण नियन्त्रण हेतु जागरूकता/प्रचार-प्रसार	

अतः गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।


अध्यक्ष,


जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

कार्यालय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या-517 /आ0प्र0प्रा0 (COVID-19)/2020 दिनांक 26 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- स्टॉफ आफिसर, मा0 मुख्य सचिव ,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 5- सचिव, स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 6- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 7- पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
- 8- मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 9- उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/बडकोट/पुरोला।
- 10- मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी ।
- 11- उपरोक्त सम्बन्धित नोडल अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
- 12- जिला सूचना अधिकारी को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।


अध्यक्ष

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

:: आदेश ::

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या- 40-3/2020-डीएम-/(1) दिनांक 15.04.2020 के द्वारा सम्पूर्ण भारतवर्ष में दिनांक 03.05.2020 तक लाक-डाउन प्रभावी रहने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के दौरान आम जनमानस को हो रही कठिनाई के न्यूनीकरण हेतु दिनांक 20.04.2020 से गृह मंत्रालय द्वारा शिथिलता प्रदान किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त के सन्दर्भ में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या- 40-3/2020-डीएम-/(1(A) दिनांक 15.04.2020 के संबध में दिनांक 24.04.2020 को पारित संशोधन आदेश, मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-85/USDMA-792(2020) दिनांक 25-04-2020 एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी PRESS RELEASE दिनांक 25.04.2020 द्वारा Shops खोलने के संबध में निर्गत आदेश द्वारा स्पष्टीकरण जारी किये गये हैं, जो निम्नवत् है:-

- 2- a. In **rural areas**, all shops, except those in shopping malls are allowed to open.
- b. In **urban areas**, all standalone shops, neighbourhood shops & shops in residential complexes are allowed to open. Shops in markets/ market complexes and shopping malls are **not** allowed to open.
- 3- It is clarified that sale by **E-commerce** companies will continue to be permitted for essential goods only.
- 4- It is further clarified that sale of **liquor** and other items continues to be prohibited as specified in the National Directives for CoVID-19 management.

गृह मंत्रालय भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में जनपद उत्तरकाशी में 50 प्रतिशत कार्मिक क्षमता के प्रतिबन्ध के साथ, पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए, कोविड-19 महामारी के संक्रमण के रोकथाम के उपायों यथा-मास्क, सेनिटाईजर आदि का अनिवार्यतः उपयोग करने की शर्त पर उपर्युक्त बिन्दु संख्या 2, 3, एवं 4 के अनुरूप पूर्व की भांति दुकानें प्रातः 07:00 बजे से अपराहन 01:00 बजे तक खुली रहेंगी। अतः पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार प्रदत्त अनुमति का दुरुपयोग एवं कोविड संक्रमण की रोकथाम के क्रम में समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन न किया जाना आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व EPIDEMIC DISEASE ACT-1897 सपठित उत्तराखण्ड कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

:: आदेश ::


सचिव, नियोजन उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 203/41/CPPGG दिनांक 21.04.2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा श्री इन्दु कुमार पाण्डे, आई0ए0एस0 (से0नि0) की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड की आर्थिकी एवं आजीविका के सुदृढीकरण की सम्भावनाओं के अध्ययन एवं विश्लेषण हेतु समिति का गठन किया गया है।

वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को अन्तरराष्ट्रीय महामारी घोषित किया गया है। भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कोरोना वायरस को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत सम्पूर्ण देश में 23 मार्च, 2020 से 03 मई, 2020 तक लॉक-डाउन किया गया है। उक्त अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत उपरोक्त गठित समिति को उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था को यथा शीघ्र सुचारु एवं सुदृढ करने हेतु आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत है।

उक्त के क्रम में जनपद स्तर पर वर्तमान स्थिति के परिपेक्ष्य में विभागवार सूक्ष्म, लघु एवं दीर्घकालिक प्रभाव तथा उनके न्यूनीकरण हेतु मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में निम्न समिति गठित की जाती है-

- 1 श्री राजेन्द्र सिंह रावत, परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरकाशी।
- 2 श्री सुनील मोहन कृष्णन, जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड परियोजना उत्तरकाशी।
- 3 श्री प्रकाश खत्री, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 4 श्री विमल कुमार, अपर परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उत्तरकाशी।
- 5 श्री यू0के0 तिवारी, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरकाशी।
- 6 श्री चक्रपाणी मिश्रा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।

श्री बी0एस0 तोमर, जिला लीड बैंक प्रबन्धक, उत्तरकाशी को उपरोक्त गठित समिति के परामर्शदाता के रूप में नामित किया जाता है। अतः उपरोक्त समिति को निर्देश दिये जाते हैं कि यथाशीघ्र वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु लॉकडाउन से आम जनमानस के आजीविका एवं आर्थिकी पर पड़े प्रभाव तथा उसके अतिशीघ्र सामान्य स्थिति में लाये जाने के साथ-साथ सुदृढीकरण करने हेतु जनपद के समस्त सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उक्त का अध्ययन करते हुये उपरोक्तानुसार विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

कार्यालय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

पत्र संख्या-523 /आ0प्र0आ0 (COVID-19)/2020

दिनांक 27 अप्रैल, 2020

- प्रतिलिपि:-1 उपरोक्त समिति के समस्त सदस्यों एवं सम्बन्धितों को शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:-2 जनपद स्तरीय सम्बन्धित समस्त अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अध्यक्ष,

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।